

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 27]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 जुलाई 2019—आषाढ़ 14, शक 1941

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 14 जून 2019

क्र. ई-1-277-2019-5-एक.—श्री ज्ञानेश्वर बी. पाटिल, भाप्रसे (2003), सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ-साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, नियंत्रक, शासकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुधि रंजन मोहन्ती, मुख्य सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 जून 2019

क्र. एफ-1(ए)105-2016-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्रीमती यांगचेन डी. भूटिया, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला बड़वानी को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 4 से 14 जून 2019 तक, कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 15-16 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर पेलिंग (सिक्किम) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत परिवार सहित एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

5899

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2019.

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्रीमती यॉगचेन डी. भूटिया, भापुसे, का चालू कार्य श्रीमती सुनीता रावत, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, जिला बड़वानी द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती यॉगचेन डी. भूटिया, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला बड़वानी के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्रीमती यॉगचेन डी. भूटिया, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती यॉगचेन डी. भूटिया, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती यॉगचेन डी. भूटिया, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 21 जून 2019

क्र. एफ 1(ए) 131-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री आनन्द प्रकाश सिंह, भापुसे, तत्का. अति. पुलिस अधीक्षक, जिला-राजगढ़ वर्तमान में सेनानी, आर.ए.पी.टी.सी., इन्दौर को स्वयं के अस्वस्थ हो जाने के कारण दिनांक 27 जनवरी से 25 मार्च 2010 तक, अठावन दिवस लघुकृत अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से एक सौ सोलह दिवस अर्द्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री आनन्द प्रकाश सिंह को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री आनन्द प्रकाश सिंह, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1(ए)148-1995-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (रेल) मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 11 से 14 जून 2019 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15-16 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (रेल) मध्यप्रदेश भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 22 जून 2019

क्र. एफ-1(ए)-61-2015-ब-2-दो.—राज्य शासन, श्री सूरज वर्मा, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला इन्दौर (पश्चिम) को खण्डवर्ष 2018-21 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 10 से 19 जून 2019 तक, कुल दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 08-09 जून 2019 के विज्ञप्त अवकाश के साथ अकेले गृह नगर पेलिंग (सिक्किम) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री सूरज वर्मा, भापुसे का चालू कार्य श्री यूसुफ कुरैशी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, जिला इन्दौर (पूर्व) द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सूरज वर्मा, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, जिला इन्दौर (पश्चिम) के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री सूरज वर्मा, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री सूरज वर्मा, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सूरज वर्मा, भापुसे अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीदास, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 जून 2019

फा. क्र. 3(ए)2017-इक्कीस-ब(एक)582-शुद्धिपत्र.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 3 जनवरी 2019 के प्रथम पैरा की पंक्ति क्र. 2 में "श्री प्रियांशु पाण्डेय पुत्र श्री आशुतोष पाण्डेय" के स्थान पर "श्री प्रियांशु पाण्डे पुत्र श्री आशुतोष पाण्डे" पढ़ा जाए.

फा. क्र. 3(ए)2018-इक्कीस-ब(एक)3317 (मेरिट क्र. 37).—राज्य शासन, श्री ऋषि राज मिश्रा पुत्र श्री कृष्ण कुमार मिश्रा को मध्यप्रदेश न्यायिक सेवा में सिविल न्यायाधीश, वर्ग-2 (प्रवेश स्तर) के पद पर, दो वर्ष की परिवीक्षा पर अथवा अन्य आदेश होने तक, अस्थायी रूप से, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से कनिष्ठ वेतनमान रुपये 27700-770-33090-920-40450-1080-44770 में एतद्वारा नियुक्त करता है.

अभ्यर्थी का गृह जिला रीवा (मध्यप्रदेश) है. उसकी जन्मतिथि 01 सितम्बर 1993 है.

फा. क्र. 3(ए)19-2003-इक्कीस-ब-(एक) 3187.—यतः, भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (सिविल) क्रमांक 1022/89 अखिल भारतीय जजेस एसोसिएशन एवं अन्य विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित, आदेश दिनांक 21 फरवरी, 2006 और राज्य परिषद् के आदेश दिनांक 5 जून 2006 के अनुपालन में, विधि और विधायी कार्य विभाग ने अपने आदेश दिनांक 15 जून, 2006 द्वारा मध्यप्रदेश में पदस्थ न्यायिक अधिकारियों को कतिपय सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

और, यतः, उपरोक्त आदेश दिनांक 15 जून, 2006 के पैरा 8(2) के साथ पठित पैरा 16 में यह उपबंध है कि राज्य शासन, सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिए निजी चिकित्सालयों को अधिसूचित करेगा;

अतएव, इस संबंध में जारी इस विभाग की समस्त पूर्व अधिसूचनाओं की निरंतरता में राज्य शासन, संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं, मध्यप्रदेश के परामर्श से, एतद्वारा नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में वर्णित राज्य में के निम्नलिखित निजी चिकित्सालय को सेवारत/सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के उपचार के लिये अधिसूचित करती है :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	जिला (2)	चिकित्सालय का नाम (3)
1.	भोपाल	दीवान डेन्टल क्लीनिक, शॉप नं. 105, फस्ट फ्लोर, सी-ब्लॉक, सुरेन्द्र लैंडमार्क, अपोजिट वृन्दावन ढाबा, होशंगाबाद रोड, भोपाल.

F. No. 3 (A)-19-2003-XXI-B (1) 3187-2019.— WHEREAS, in compliance of the order dated 21st February, 2006 passed by the Supreme Court of India in Writ Petition (Civil) No. 1022/89 All India Judges Association and Others Versus Union of India and others and in compliance of the order dated 5th June, 2006 of the State Council, the Law and Legislative Affairs Department vide its order dated 15th June, 2006 granted certain facilities to the Judicial Officers posted in Madhya Pradesh ;

AND, WHEREAS, Para 8(2) read with Para 16 of the aforesaid order dated 15th June, 2006 provides that the State Government shall notify private hospitals for treatment of working/retired Judicial Officers and their family members;

Now, THEREFORE, in continuation of this department's all previous notifications issued in this regard the State Government, in consultaion with the Director, Health Service, Madhya Pradesh, hereby, notifies the following private hospitals in the State Mentioned in column (3) of the table below for treatment of working/retired judicial Officers and their family members :—

TABLE

S.No. (1)	District (2)	Name of Hospitals (3)
1.	Bhopal	Diwan Dental Clinic, Shop No. 105, First Floor, C Block, Surendera Landmark Opposite Vrindavan Dhabha, Hoshangabad Road, Bhopal.

भोपाल, दिनांक 25 जून 2019

फा. क्र. 3358-2019-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा की अधिकारी सुश्री भारती गर्ग, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग-2, जिला गुना का त्याग-पत्र दिनांक 19 जून 2019 से स्वीकृत करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्रमुख सचिव.

उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 मई 2019

क्र. एफ-9-2-2006-अट्टावन.—राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-74(ए) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए निम्नानुसार अधिकारियों को आगामी आदेश तक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के संचालक मंडल में सदस्य मनोनीत करता है:—

1. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल.
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग.

3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग.
4. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम, भोपाल.
5. आयुक्त सह संचालक, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
6. श्री जे. जे. आर. नरवरे, संचालक, केन्द्रीय फार्म एण्ड मशीनरी, ट्रेक्टर ट्रेनिंग एवं टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, बुधनी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
किरण मिश्रा, उपसचिव.

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जून 2019

क्र. एफ-16-18-2015-बी-ग्यारह.—राज्य शासन द्वारा समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 अप्रैल 2016 द्वारा मध्यप्रदेश निवेश क्षेत्र विकास और प्रबंध अधिनियम, 2016 के नियम 6 के उपनियम (1) के प्रावधानों के अन्तर्गत औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर को इन्दौर राजस्व संभाग (जिला इन्दौर, धार, खण्डवा, खरगौन, झाबुआ, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर) एवं अधिसूचना दिनांक 18 मई 2016 के अनुक्रमांक 04 में मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, उज्जैन को उज्जैन राजस्व संभाग (जिला देवास, रतलाम, शाजापुर, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, आगर-मालवा) के क्षेत्राधिकार में आने वाले निवेश क्षेत्र के लिये निवेश क्षेत्र विकास एवं प्रबंध योजना (स्कीम) तैयार करने तथा अधिनियम एवं नियम के प्रावधानों को क्रियान्वित करने हेतु एजेन्सी के रूप में प्राधिकृत किया गया है.

औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर का संविलियन मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि., भोपाल में हो गया है एवं मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर का नवीन नाम मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि., क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर हो गया है तथा मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, उज्जैन के कार्य क्षेत्र को मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि., क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर में समाहित किया गया है. अतः समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 अप्रैल 2016 तथा अधिसूचना दिनांक 18 मई

2016 के अनुक्रमांक 04 में उल्लेखित एजेन्सी क्रमशः मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, इन्दौर एवं मध्यप्रदेश औद्योगिक केन्द्र विकास निगम, उज्जैन का नाम विलोपित कर मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लि., क्षेत्रीय कार्यालय इन्दौर किया जाता है.

F. No. 16-18-2015-B-XI.—State Government by Notification No.16-18-2015-B-Eleven, dated 13th April 2016 under the provisions of sub-rule(1) of Rule 6 of the Madhya Pradesh Investment Region Development and Management Act, 2016, authorised Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam (MPAKVN), Indore for the Indore Division (Districts of Indore, Dhar, Khandwa, Jhabua, Khargone, Burhanpur, Badwani, and Alirajpur) ; and, by Notification No. 04 dated 18th May 2016 authorised Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam (MPAKVN), Ujjain for Ujjain Division (Districts of Dewas, Ratlam, Shajapur, Mandsaur, Neemuch, Ujjain and Agar Malwa) as the Agencies for preparation of the Scheme for investment region Development and Management plan(Scheme), and also for implementation of the provisions and Rules of the Act, under their respective areas.

Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam, Indore has been merged into the Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Ltd, Bhopal and renamed as Madhya Pradesh Industrial Development Corporation's Regional Office, Indore ; and the jurisdiction of Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam (MPAKVN) Ujjain has been incorporated in the Regional Office, Indore. Therefore, further the names of the Agencies aforementioned in the Notification dated 13th April 2016 and S.No. 04 of the Notification dated 18th May 2016 viz: Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam, Indore and Madhya Pradesh Audyogik Kendra Vikas Nigam, Ujjain have been deleted and renamed as the "Madhya Pradesh Industrial Development Corporation Ltd's Regional Office, Indore".

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
व्ही. के बरोनिया, उपसचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 19 जून 2019

क्र. एफ-2-3-2019-ई-चार.—मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग की अधिसूचना दिनांक 29 सितम्बर, 2018 के माध्यम से तहसील निवाडी, जिला टीकमगढ़ का उन्नयन कर नवीन जिला निवाडी सृजित किया गया है. इसी अनुक्रम में राज्य शासन, मध्यप्रदेश कोषालय संहिता भाग-एक के नियम 4 (1) के प्रावधानों के तहत निवाडी में स्थापित उप कोषालय का उन्नयन कर जिला कोषालय के रूप में स्थापित करता है.

उपकोषालय का जिला कोषालय में उन्नयन होने के फलस्वरूप जिला कोषालय, निवाडी हेतु निम्नानुसार पदीय संरचना स्वीकृत की जाती है:—

क्रमांक (1)	पदनाम (2)	संवर्ग (3)	पदों की संख्या (4)	रिमार्क (5)
1	जिला कोषालय अधिकारी (वरिष्ठ वेतनमान).	मध्यप्रदेश वित्त सेवा	01	वित्त सेवा संवर्ग की स्वीकृत पदीय संरचना से समायोजन.
2	सहायक कोषालय अधिकारी	मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा.	01	मध्यप्रदेश अधीनस्थ लेखा सेवा संवर्ग की स्वीकृत संरचना से समायोजन.
3	सिस्टम एनालिस्ट	मध्यप्रदेश कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी सेवा.	01	मध्यप्रदेश कोषालयीन सूचना प्रौद्योगिकी सेवा की स्वीकृत संरचना से समायोजन.
4	सहायक ग्रेड एक	मध्यप्रदेश कोषालयीन लिपिक सेवा.	02	मध्यप्रदेश कोषालयीन लिपिक सेवा की स्वीकृत पदीय संरचना के समायोजन.
5	सहायक ग्रेड दो	मध्यप्रदेश कोषालयीन लिपिक सेवा.	04	उप कोषालय, निवाडी में पूर्व से स्वीकृत 01 पद समायोजन एवं शेष 03 पद मध्यप्रदेश कोषालयीन लिपिक सेवा की स्वीकृत पदीय संरचना के समायोजन से.
6	सहायक ग्रेड तीन	मध्यप्रदेश कोषालयीन लिपिक सेवा.	09	उप कोषालय, निवाडी में पूर्व से स्वीकृत 01 पद समायोजन एवं शेष 08 पद मध्यप्रदेश कोषालयीन लिपिक सेवा की स्वीकृत पदीय संरचना के समायोजन से.
7	भृत्य	मध्यप्रदेश कोष एवं लेखा चतुर्थ श्रेणी.	03	उप कोषालय, निवाडी में पूर्व से स्वीकृत 01 पद समायोजन एवं 02 नवीन पद (आउटसोर्स) सृजित करते हुए.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज कुमार जैन, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 जून 2019

क्र. एफ-3-19-2016-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, आयुक्त-सह-संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 2689-468-उपां-टी सी-इन्दौर-2016, दिनांक 16 मई 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित मंदसौर विकास योजना 2011 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	भुनियाखेड़ी	183/1	5.21 में से 3.00	कृषि एवं मार्ग	आवासीय एवं मार्ग (अटल आश्रय योजना हेतु)
		110	1.48	कृषि	आवासीय (अटल आश्रय योजना हेतु).
			योग . . 4.48		

उपरोक्त उपांतरण मंदसौर विकास योजना 2011 का एकीकृत भाग होगा.

क्र. एफ-3-86-2018-अठारह-5.—मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012) की धारा 23 “क” की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1573-उपां-टी सी-08-इन्दौर, 2017 दिनांक 22 मार्च 2018 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इन्दौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	भूखण्ड क्र.	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग	उपांतरण पश्चात् उपांतरित भू-उपयोग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	इन्दौर (रेसीडेन्सी एरिया)	42	0.74	सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक तथा मार्ग.	वाणिज्यिक एवं मार्ग
			योग . . 0.74		

उपरोक्त उपांतरण इन्दौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

कार्यालय, जिला मजिस्ट्रेट, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश

मन्दसौर, दिनांक 10 मई 2019

क्रमांक 592-सा.लेख-2019.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973/1974 की धारा 2 के खण्ड एस में पुलिस थाना का स्थानीय क्षेत्र विनिर्दिष्ट करने की राज्य शासन की शक्तियां मध्यप्रदेश शासन, गृह (पुलिस) विभाग, भोपाल के परिपत्र क्रमांक एफ-2(4)15-99-बी-3-दो, भोपाल दिनांक 11 अक्टूबर 2004 एवं ज्ञाप क्रमांक एफ-2 (क) 09-08-बी-3-दो, दिनांक 30 जुलाई 2010 से जिले के भीतर कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक एवं जिला अभियोजन अधिकारी की समिति में निहित की गई है. उपरोक्तानुसार प्राप्त समिति के निर्णय दिनांक 25 जनवरी 2019 अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 2 के खण्ड एस के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, स्तंभ क्रमांक (1) में वर्णित राजस्व ग्रामों या उसके भाग को स्तंभ क्रमांक (2) में वर्णित पुलिस थाने/चौकी के स्थानीय क्षेत्र से उन्मोचित करते हुए स्तंभ क्रमांक (3) में वर्णित पुलिस थानों/चौकी के स्थानीय क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है:—

क्रमांक (1)	राजस्व ग्राम/क्षेत्र का नाम स्तंभ क्रमांक (1) (2)	वर्तमान थाना क्षेत्राधिकार स्तंभ क्रमांक (2) (3)	नवीन थाना/नवीन चौकी क्षेत्र जिसमें ग्राम सम्मिलित किया गया स्तंभ क्रमांक (3) (4)
----------------	---	---	--

थाना भावगढ़ से नवीन थाना दलोदा में लिये गये ग्राम

1	दलोदा	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
2	दलोदा सगरा	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
3	निरधारी	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
4	टोलखेड़ी	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
5	पिपलिया मुजावर	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
6	निम्बाखेड़ी	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
7	बानीखेड़ी	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
8	एलची	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
9	नाईखेड़ी	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
10	नगरी	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
11	लसुडिया ईला	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
12	गुराडिया शाह	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
13	कचनारा	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
14	सरसौद	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
15	आक्या	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
16	उमाहेड़ा	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
17	लखमाखेड़ी	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
18	पटेला	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
19	लालाखेड़ी	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
20	रिखालाल मुआ	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
21	अमलावद	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
22	सेमलिया हीरा	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
23	पाडलिया लालमुहा	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
24	दलोदा रेल	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा
25	फतेहगढ़	भावगढ़	नवीन थाना दलोदा

थाना अफजलपुर से नवीन थाना दलोदा में लिये गये ग्राम

1	धुन्धड़का	अफजलपुर	नवीन थाना दलोदा
2	धमनार	अफजलपुर	नवीन थाना दलोदा
3	गुलियाना	अफजलपुर	नवीन थाना दलोदा
4	इसबखेड़ी	अफजलपुर	नवीन थाना दलोदा
5	पेटलावद	अफजलपुर	नवीन थाना दलोदा
6	खेड़ा धमनार	अफजलपुर	नवीन थाना दलोदा
7	लामगिरी	अफजलपुर	नवीन थाना दलोदा
8	मोरखेड़ा	अफजलपुर	नवीन थाना दलोदा
9	बाबरेचा	अफजलपुर	नवीन थाना दलोदा
10	कुम्मोखेड़ी	अफजलपुर	नवीन थाना दलोदा

थाना नई आबादी से नवीन थाना दलोदा में लिये गये ग्राम

1	रिछा बच्चा	नई आबादी	नवीन थाना दलोदा
2	सोनगरी	नई आबादी	नवीन थाना दलोदा
3	सेदखेड़ी	नई आबादी	नवीन थाना दलोदा

थाना वाय. डी. नगर से नवीन चौकी ग्राम मुलतानपुरा में लिये गये ग्राम

1	मुलतानपुरा	वाय. डी. नगर	नवीन चौकी मुलतानपुरा
2	रलायता	वाय. डी. नगर	नवीन चौकी मुलतानपुरा
3	पित्याखेड़ी	वाय. डी. नगर	नवीन चौकी मुलतानपुरा
4	बुलगड़ी	वाय. डी. नगर	नवीन चौकी मुलतानपुरा
5	बुगलिया	वाय. डी. नगर	नवीन चौकी मुलतानपुरा
6	गुजरदा	वाय. डी. नगर	नवीन चौकी मुलतानपुरा
7	कोचवी	वाय. डी. नगर	नवीन चौकी मुलतानपुरा
8	करोली	वाय. डी. नगर	नवीन चौकी मुलतानपुरा
9	घटावदा	वाय. डी. नगर	नवीन चौकी मुलतानपुरा
10	दिलावरा	वाय. डी. नगर	नवीन चौकी मुलतानपुरा
11	रेवासदेवड़ा	वाय. डी. नगर	नवीन चौकी मुलतानपुरा
12	नोगावां	वाय. डी. नगर	नवीन चौकी मुलतानपुरा
13	रिंदवन	वाय. डी. नगर	नवीन चौकी मुलतानपुरा
14	दोलतपुरा	वाय. डी. नगर	नवीन चौकी मुलतानपुरा
15	दाउदखेड़ी	वाय. डी. नगर	नवीन चौकी मुलतानपुरा
16	गुराड़ियादेदा	वाय. डी. नगर	नवीन चौकी मुलतानपुरा
17	धारियाखेड़ी	वाय. डी. नगर	नवीन चौकी मुलतानपुरा
18	सिंदपन	वाय. डी. नगर	नवीन चौकी मुलतानपुरा

थाना नारायणगढ़ से नवीन चौकी ग्राम बूढ़ा में लिये गये ग्राम

1	बुढ़ा	नारायणगढ़	नवीन चौकी बूढ़ा
2	चिलोद पिपल्या	नारायणगढ़	नवीन चौकी बूढ़ा
3	मुंजाखेड़ी	नारायणगढ़	नवीन चौकी बूढ़ा
4	काल्याखेड़ी (गुजरान)	नारायणगढ़	नवीन चौकी बूढ़ा

(1)	(2)	(3)	(4)
5	भीलखेड़ी	नारायणगढ़	नवीन चौकी बूढ़ा
6	टकरवाद	नारायणगढ़	नवीन चौकी बूढ़ा
7	खड़पालिया	नारायणगढ़	नवीन चौकी बूढ़ा
8	हरनीखेड़ा	नारायणगढ़	नवीन चौकी बूढ़ा
9	मंषाखेड़ी	नारायणगढ़	नवीन चौकी बूढ़ा
10	गायरीखेड़ा	नारायणगढ़	नवीन चौकी बूढ़ा
11	छोटा हिगौरिया	नारायणगढ़	नवीन चौकी बूढ़ा
12	आंत्रीखेड़ा	नारायणगढ़	नवीन चौकी बूढ़ा
13	काल्याखेड़ी (कला)	नारायणगढ़	नवीन चौकी बूढ़ा
14	सरवानिया	नारायणगढ़	नवीन चौकी बूढ़ा
15	दोबड़ा	नारायणगढ़	नवीन चौकी बूढ़ा
16	अरनिया जटिया	नारायणगढ़	नवीन चौकी बूढ़ा
17	छायन	नारायणगढ़	नवीन चौकी बूढ़ा
18	रूपारेल	नारायणगढ़	नवीन चौकी बूढ़ा

थाना नारायणगढ़ से नवीन चौकी ग्राम झार्डा में लिये गये ग्राम

1	झार्डा	नारायणगढ़	नवीन चौकी झार्डा
2	गोपालपुरा	नारायणगढ़	नवीन चौकी झार्डा
3	तुमड़ी	नारायणगढ़	नवीन चौकी झार्डा
4	लोड़ाखेड़ा	नारायणगढ़	नवीन चौकी झार्डा
5	अड़माल्या	नारायणगढ़	नवीन चौकी झार्डा
6	आबाखेड़ी	नारायणगढ़	नवीन चौकी झार्डा
7	आंत्रीखुर्द	नारायणगढ़	नवीन चौकी झार्डा
8	हरमाला	नारायणगढ़	नवीन चौकी झार्डा
9	अनुपपुरा	नारायणगढ़	नवीन चौकी झार्डा
10	मोतीपुरा	नारायणगढ़	नवीन चौकी झार्डा
11	रायखेड़ा	नारायणगढ़	नवीन चौकी झार्डा
12	कुण्डखेड़ा	नारायणगढ़	नवीन चौकी झार्डा

थाना शहर कोतवाली मंदसौर से नवीन चौकी घंटाघर में लिये गये ग्राम/मोहल्ले

1	पुराना गाड़ी अड्डा, एम.पी. बस स्टेण्ड, गोल चौराहा, नयापुरा, जिला अस्पताल क्षेत्र, गांधी चौराहा, नगरपालिका कालोनी, बालागंज, कालाखेत, गोशालामार्केट, हीरा की बगीची, नाकोड़ा नगर, अम्बापेलेस, मुखर्जी चौक, आजादचौक, धानमण्डी, राम मोहल्ला, गणपतिचौक, मदारपुरा, जीवागंज, नरसिंहपुरा, नयागाँव, कालीदास मार्ग, नेहरू बसस्टेण्ड.	थाना शहर कोतवाली मंदसौर	नवीन पुलिस चौकी घंटाघर
---	--	-------------------------	------------------------

थाना शहर कोतवाली मंदसौर से नवीन पुलिस चौकी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर में लिये गये ग्राम/मोहल्ले

1	हाफिज कालोनी, सम्राट, रोड़, रामघाट, नाका नम्बर-10, नीलमषाह दरहगाह, पुराना खानुपरा, सुदर्शन कालोनी, चन्दरपुरा, सम्पूर्ण खानपुरा क्षेत्र, गुदरी तोड़ा, पशुपतिनाथ मंदिर परिसर, मण्डीगेट ऐरिया, प्रतापगढ़ पुलिया, जगतपुरा, छीपा बाखल.	थाना शहर कोतवाली मंदसौर	नवीन पुलिस चौकी भगवान पशुपतिनाथ महादेव मंदिर.
---	--	-------------------------	--

धनराजू एस. जिला मजिस्ट्रेट एवं पदेन उपसचिव (गृह).

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश

“कचनार” ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल

भोपाल, दिनांक 11 जून 2019

इन्दौर विकास योजना 2021 में प्रस्तावित संशोधन की सूचना

क्र. 3345-वि.यो.-नग्रानि-नग्रानि-2019.—में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इन्दौर द्वारा विविध याचिका क्रमांक 4090-2015 में पारित आदेश दिनांक 19 अक्टूबर 2015 के परिपालन में एतद्वारा सूचना दी जाती है कि इन्दौर विकास योजना 2021 में उपांतरण का प्रारूप मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 23 सहपठित धारा 18 की उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में प्रकाशित की गई है. जिसकी प्रति निरीक्षण के लिये निम्न कार्यालयों में उपलब्ध है:—

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर
2. कलेक्टर, इन्दौर, जिला इन्दौर
3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इन्दौर
4. आयुक्त, नगरपालिक निगम, इन्दौर.

अनुसूची

क्रमांक	ग्राम	खसरा क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टर में)	विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग (5)	उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग (6)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	निहालपुर मुन्डी	950/1, 953/1, 954 से 958 945/ 2, 949/2, 945/1, 949/3, 945/3, 949/1, 948, 959/2, 962/1, 962/2, 959/3, 959/1, 951/1/2, 952/1, 953/3, 947/1, 960, 961, 998, 999, 1000	19.836	सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक	आवासीय
योग . .			19.836		

प्रस्तावित उपांतरण के ब्यौरे सूचना प्रकाशन की तिथि से 30 दिन की समयावधि के लिये आम जनता को निरीक्षण के लिए www.mptownplan.gov.in वेबसाईट पर भी उपलब्ध होंगे.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप उपांतरण के संबंध में हों, उसे लिखित में कार्यालयीन समय में नगर तथा ग्राम निवेश के उपरोक्त वर्णित जिला कार्यालय में “मध्यप्रदेश राजपत्र” में सूचना प्रकाशित होने की दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है.

राहुल जैन, संचालक.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्रकरण क्रमांक 1022-अ-82-2017-18

अनुसूची

राजगढ़, दिनांक 27 जून 2019

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम नाईहेडी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की निजी भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-1 की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची :- (1)

भूमि का वर्णन

(क) जिला - राजगढ़

(ख) तहसील - नरसिंहगढ़

(ग) ग्राम - नाईहेडी

(घ) क्षेत्रफल - 2.588

पार्वती सिंचाई परियोजना के एफ.टी.एल तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम नाईहेडी

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4
	नाईहेडी	5.918	2.588
	कुल योग :-	5.918	2.588

अनुसूची :- (2)

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
				5
1	2	3	4	5
1	प्रेमनारायण पिता बालकिशन जाति देशवाली पता नि. ग्राम भू स्वामी	3/1	0.619	0.020 ✓
		4	0.051	0.051 ✓
		5	0.253	0.120 ✓
		6	0.164	0.164 ✓
	योग	4	1.087	0.355
2	शिवनारायण पिता मुकुन्दराम जाति देशवाली पता नि. ग्राम भू स्वामी	7/1	0.898	0.246 ✓
		योग	1	0.898
3	नरवदीबाई पति लीलाकिशन जाति देशवाली पता नि. ग्राम भू स्वामी	7/2	1.265	0.295 ✓
		योग	1	1.265
4	कैलाश पिता प्रेमनारायण जाति देशवाली पता नि. ग्राम भू स्वामी	9	0.417	0.162 ✓
		योग	1	0.417
5	नन्गूलाल पिता भंवरलाल जाति देशवाली पता नि. ग्राम भू स्वामी	10/1	0.265	0.220 ✓
		योग	1	0.265
6	लीलाकिशन पिता बलराम जाति देशवाली पता नि. ग्राम भू स्वामी	10/2	0.266	0.220 ✓
		योग	1	0.266
7	देवीप्रसाद पिता शिवप्रसाद जाति देशवाली पता नि. ग्राम भू स्वामी	10/4	0.253	0.253 ✓
		14	0.645	0.605 ✓
		योग	2	0.898
स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	5
8	गोपाल पिता छोटाराम जाति देशवाली पता नि. ग्राम बरोडी भू स्वामी	10/3	0.253	0.200 ✓
		योग	1	0.253
9	कोशल्याबाई पति शिवप्रसाद जाति देशवाली पता नि. ग्राम बरोडी भू स्वामी	18	0.569	0.032 ✓
		योग	1	0.569
	महायोग	13	5.918	2.588

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 1020-अ-82-2018-19

अनुसूची

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम पीलूखेडी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की निजी भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत बह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-1 की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची :- (1)

भूमि का वर्णन

- (क) जिला - राजगढ़
(ख) तहसील - नरसिंहगढ़
(ग) ग्राम - पीलूखेडी
(घ) क्षेत्रफल - 6.338

पार्वती सिंचाई परियोजना के एफ.टी.एल तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम पीलूखेडी

स.क्र.	ग्राम का नाम/विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
		कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4
	पीलूखेडी	18.859	6.338
	कुल योग :-	18.859	6.338

अनुसूची :- (2)

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
				योग
1	2	3	4	7
1	जगदीश पिता मोरसिंह मु. धापूबाई बेवा मेघा जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	290/253	0.759	0.360
	योग	1	0.759	0.360
2	प्रभुलाल पिता आसाराम जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	297/253/1	0.284	0.284
	योग	253/3/3	0.125	0.125
	योग	2	0.409	0.409
3	गुलाबसिंह पिता आसाराम जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	297/253/2	0.222	0.222
	योग	299/253	0.063	0.063
	योग	253/3/4	0.132	0.132
	योग	3	0.417	0.417
4	भायसिंह, प्रताप पिता आमर जाति बंजारा पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	298/253	0.076	0.076
	योग	1	0.076	0.076
5	हाकमसिंह पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	116/5	1.265	0.210
	योग	1	1.265	0.210
6	उम्मेदसिंह पिता दोला जी जाति गाडरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/1/1	0.569	0.110
	योग	1	0.569	0.110
7	हजारी पिता दोला जी जाति गाडरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/1/2	0.569	0.200
	योग	1	0.569	0.200
8	दयाराम पिता आशाराम निवासी ग्राम भू स्वामी	253/3/1	0.130	0.130
	योग	1	0.130	0.130
9	मुशीलाल पिता आशाराम जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	253/3/2	0.119	0.119
	योग	300/253/2	0.088	0.088
	योग	2	0.207	0.207

10	लक्ष्मणसिंह पिता मांगीलाल जाति गाडरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/1/3	0.569	0.140
	योग	1	0.569	0.140
11	ग्यारसीबाई बेवा मांगीलाल, कैलाश, लक्ष्मीनारायण, शिवनारायण पिता मांगीलाल जाति गाडरी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/1/4	0.569	0.150
	योग	1	0.569	0.150
12	ओमप्रकाश पिता बापूलाल जाति देशवाली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	113/2/1	1.498	0.498
		113/2/2	0.904	0.192
	योग	2	2.402	0.690
13	हजारी पिता भोना जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	253/8	0.506	0.010
	योग	1	0.506	0.010
14	मांगीलाल पिता अमरसिंह जाति गाडरी नि.ग्रा भू-स्वामि	116/1/1	0.505	0.475
	योग	1	0.505	0.475
15	मांगीलाल देवचन्द भवानसिंह पिता अमरसिंह जाति गाडरी नि.ग्रा भू-स्वामि	116/1/2	0.506	0.270
	योग	1	0.506	0.270
16	सीताराम पिता काकूराम जाति देसवली पता	116/2	2.453	0.300
	योग	1	2.453	0.300
17	सरोजदेवी पिता किरणबाबू जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भू स्वामी	116/3	1.164	0.010
	योग	1	1.164	0.010
18	सरोज बेवा किरणबाबू तेजस्वी ना बा पिता किरण बाबू सप माता सरोज बेवा किरणबाबू नवेदिका ना बा पिता किरणबाबू सप माता सरोज बेवा किरणबाबू रवि बाबू पिता सीताराम जाति ब्राह्मण पता नि ग्राम भू स्वामी	119/1	0.284	0.284
		119/3	2.500	0.126
		113/3	0.036	0.006
	योग	3	2.820	0.416
19	रविन्द्रकुमार पिता सीताराम जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम भू स्वामी	119/2	0.500	0.270
	योग	1	0.500	0.270
20	प्रभू पिता पन्नालाल जाति बन्जारा पता नि ग्राम भूमि स्वामी	301/253/1	0.095	0.095
		301/253/2	0.095	0.095
	योग	2	0.190	0.190
21	शोलीबाई पत्नि प्रथ्वी जाति बन्जारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	300/253/1	0.114	0.114
		303/253	0.253	0.253
		277/253/1	0.101	0.101
	योग	3	0.468	0.468
22	श्रीमति सूमीबाई पति जयराम तुलाराम पिता प्रभुलाल विशाल राजू ना बा पिता प्रभुलाल सप पिता प्रभुलाल पिता पन्नालाल जाति बन्जारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	247/4/1/1	1.136	0.160
	योग	1	1.136	0.160
23	मांगीलाल पिता नगा जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	302/253	0.316	0.316
	योग	1	0.316	0.316
24	प्रभु जयराम पितापन्नालाल जाति बंजारा पता नि ग्राम भूमि स्वामी	304/253	0.177	0.177
		305/253	0.051	0.051
	योग	2	0.228	0.228
25	छुडिया पिता तेजा गुजरीबाई बेवा तेजा पृथ्वी जयराम प्रेमसिंह पिता दुर्गा लीलाकीशन पिता भावकिशन जगदीश ना बा पिता भावसिंह मु. गुजरीबाई बेवा. भावसिंह जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	275/253/1	0.082	0.082
	योग	1	0.082	0.082
26	पृथ्वीसिंह पिता दुर्गाप्रसाद जाति बंजारा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	275/253/2	0.044	0.044
	योग	1	0.044	0.044
	महायोग		18.859	6.338

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 1016-अ-82-2017-18

अनुसूची

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम बरोडी तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ की निजी भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-1 की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची :- (1)

भूमि का वर्णन

(क) जिला - राजगढ

(ख) तहसील - नरसिंहगढ

(ग) ग्राम - बरोडी

(घ) क्षेत्रफल - 24.043

पार्वती सिंचाई परियोजना के एफ.टी.एल तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम बरोडी

स.क्र.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4
	बरोडी	33.981	24.043
	कुल योग :-	33.981	24.043

अनुसूची :- (2)

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि योग
1	2	3	4	7
1	ललताप्रसाद पिता मदनलाल, सुगनबाई, पति लालताप्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	11/1/4	0.506	0.100 ✓
	योग	1	0.506	0.100
2	भारतसिंह पिता मदनलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	11/1/6	0.506	0.180 ✓
	योग	1	0.506	0.180
3	जमनाप्रसाद पिता मांगीलाल, प्रेमबाई पति जमनाप्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	11/1/10	0.241	0.100 ✓
	योग	1	0.241	0.100
4	श्री मति गायत्री बाई पति बृजराज सिंह जाति राजपूत श्रीमति रेखाबाई पति राजेन्द्र कुमार जाति कुम्हार पता नि. नरसिंहगढ भूमि स्वामी	33/2	1.366	0.020 ✓
	योग	1	1.366	0.020
5	कोशल्या बाई देवा शिवप्रसाद देवीप्रसाद पिता शिवप्रसाद जाति देसवाली निवासी ग्राम भू स्वामी	107/3	0.033	0.033 ✓
		137	0.051	0.051 ✓
		105/4	0.038	0.038 ✓
	योग	3	0.122	0.122
6	ज्वाला प्रसाद दत्तक पुत्र लक्ष्मण पिता मांगीलाल जाति धाकड पता नि ग्राम भू स्वामी	57/2	1.112	0.130 ✓
		124/2	0.386	0.175 ✓
		179/2	0.101	0.101 ✓
	योग	3	1.599	0.406
7	हीरालाल पिता बापूलाल जाति धाकड नि. ग्राम भू स्वामी	58/1/1	0.042	0.042 ✓
	योग	1	0.042	0.042
8	बृजराजसिंह पिता समन्दर सिंह जाति राजपूत राजेन्द्र कुमार पिता गोकलप्रसाद जाति कुम्हार पता नि नरसिंहगढ भू स्वामी	70	0.240	0.100 ✓
	योग	1	0.240	0.100

स.क्र.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
				योग
1	2	3	4	7
9	सौरभबाई पति शिवनाराण जाति देशवाली पता नि. ग्राम भू स्वामि	90/1	1.018	0.305 ✓
	योग	1	1.018	0.305
10	अमृतलाल पिता भागचंद जाति देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी	133/1	0.093	0.093 ✓
		112/1	0.073	0.073 ✓
		114/3/1	0.045	0.045 ✓
	योग	3	0.211	0.211
11	मोतीलाल पिता भागचंद जाति देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी	133/2	0.093	0.093 ✓
	योग	1	0.093	0.093
12	हीरालाल पिता कालूराम जाति देशवाली पता नि ग्राम भू स्वामी	114/4/1	0.119	0.119 ✓
		167/2	0.130	0.130 ✓
	योग	2	0.249	0.249
13	जगदीश पिता भागचंद जाति देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी	176/1	0.070	0.070 ✓
		174	0.025	0.025 ✓
		110/1	0.101	0.101 ✓
		134/3	0.084	0.084 ✓
		योग	4	0.280
14	बापूलाल आ.हजारीलाल जाति देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी	176/2	0.094	0.094 ✓
		110/2	0.101	0.101 ✓
		114/2	0.165	0.165 ✓
		112/2	0.073	0.073 ✓
		163	0.126	0.126 ✓
		164	0.101	0.101 ✓
	योग	6	0.660	0.660
15	बापूलाल आ.हजारीलाल जाति धाकड निवासी ग्राम भू स्वामी	134/1	0.085	0.085 ✓
	योग	1	0.085	0.085
16	बालकिशन पिता हजारीलाल जाति देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी	170	0.051	0.051 ✓
		168	0.025	0.025 ✓
		169	0.126	0.126 ✓
		144	0.291	0.291 ✓
		114/3	0.164	0.164 ✓
		112/3	0.072	0.072 ✓
		110/3	0.102	0.102 ✓
	योग	7	0.831	0.831
17	अशोक पिता नारायणसिंह रीना चिंतामणि द्रोपती पुत्री नारायणसिंह जाति देशवाली निवासी ग्राम भू स्वामी	112/4	0.073	0.073 ✓
		167/1	0.131	0.131 ✓
		114/4/2	0.046	0.046 ✓
	योग	3	0.250	0.250
18	विश्राम सिंह पिता कालूराम जाति देशवाली पता नि. ग्राम भू स्वामी	110/4	0.101	0.101 ✓
		167/3	0.030	0.030 ✓
	योग	2	0.131	0.131
19	रमेश पिता पन्नालाल जाति धाकड निवासी ग्राम भू स्वामी	246	0.240	0.120 ✓
	योग	1	0.240	0.120
20	मोहनलाल पिता भांगीलाल जाति धाकड नि. ग्राम भू स्वामी	124/1	0.386	0.175 ✓
		141	0.013	0.013 ✓
		179/1	0.101	0.101 ✓
		142	0.190	0.190 ✓
		140	0.013	0.013 ✓
		139	0.025	0.025 ✓
		57/1	1.000	0.130 ✓
	योग	7	1.728	0.647

क्र.सं.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि योग
1	2	3	4	7
21	मदनलाल पिता उम्मेदराम जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी	149/3/1/2	0.048	0.048 ✓
		157/1/2	0.114	0.114 ✓
		103/1/1/2	0.172	0.172 ✓
		213/1/1	0.253	0.016 ✓
	योग	4	0.587	0.350
22	मथरालाल बंशीलाल पिता खानाराम जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमी स्वामि	106/1	0.316	0.316 ✓
		162/2	0.101	0.101 ✓
	योग	2	0.417	0.417
23	लक्ष्मीनारायण धुरीलाल बद्रीलाल रमेशचन्द्र पिता मांगीलाल शेतान बाई कलाबाई लालताबाई पिता मांगीलाल जाति धाकड़ जाति देशवाली नि. ग्राम भूमी स्वामि	106/2	0.316	0.316 ✓
		162/1	0.101	0.101 ✓
	योग	2	0.417	0.417 ✓
24	नन्नुलाल पुत्र भवरलाल जाति देसवालीजाति देशवाली नि. ग्राम भूमी स्वामि	107/1	0.031	0.031 ✓
		115/3/1	0.643	0.643 ✓
		145	0.190	0.190 ✓
		104/4/1	0.067	0.067 ✓
		105/3	0.038	0.038 ✓
	योग	117/1	0.025	0.010 ✓
	योग	6	0.994	0.979
25	रामकलीबाई, देवा नवलसिंह, गोपास पिता छोटेलाल लीलाबाई गीताबाई पुत्री छोटेलाल जाति देशवाली नि. ग्राम भूमी स्वामि	107/2	0.031	0.031 ✓
		105/1	0.038	0.038 ✓
		104/2	0.066	0.066 ✓
	योग	3	0.135	0.135
26	मु.रामकली विधवा नवलसिंह जाति देशवाली नि. ग्राम भूमी स्वामि	115/2/1/1	0.289	0.289 ✓
	योग	1	0.289	0.289
27	कशतूरीबाई देवा उमेदराम जाति देशवाली पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	107/4	0.031	0.031 ✓
		104/3	0.067	0.067 ✓
		105/2	0.038	0.038 ✓
	योग	3	0.136	0.136
28	मदनलाल पिता हजारीलाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	159/3/1	0.086	0.086 ✓
	योग	1	0.086	0.086 ✓
29	पूनमचंद पिता हजारीलाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	159/2/1	0.086	0.086 ✓
	योग	1	0.086	0.086
30	जगदीश पिता हजारीलाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि वगैरह	150	0.278	0.240 ✓
		159/1/1	0.086	0.086 ✓
	योग	2	0.364	0.326
31	मुन्नालाल पिता देवचन्द्र जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	171	0.253	0.253 ✓
		173	0.114	0.114 ✓
		103/2	1.034	1.034 ✓
		104/1	0.319	0.319 ✓
	योग	4	1.720	1.720
32	बालाप्रसाद पिता रामचन्द्र मेहताबाई देवा रामचन्द्रर जती धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	121/2/1	0.174	0.110 ✓
		149/1/5	0.013	0.013 ✓
		157/2/4	0.013	0.013 ✓
		103/4/4	0.129	0.129 ✓
	योग	4	0.329	0.265
33	बन्देव पिता हरलाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	121/2/5	0.316	0.116 ✓
		123/1/4	0.290	0.290 ✓
		149/1/1	0.055	0.055 ✓
		157/2/1	0.050	0.050 ✓
		161/4	0.089	0.089 ✓
		99/2	0.069	0.069 ✓
	योग	103/4/6	0.260	0.260 ✓
	योग	7	1.129	0.929

क्र.सं.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित भूमि
1	2	3	4	योग
34	कमलसिंह पिता बापूलाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	177/1	0.122	0.122 ✓
		121/1/3/3	0.200	0.100 ✓
		149/2/3	0.047	0.047 ✓
		183/2	0.082	0.082 ✓
	योग	4	0.451	0.351
35	नलताप्रसाद पिता हीरालाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	177/2	0.042	0.042 ✓
		178/2	0.080	0.080 ✓
		182/1	0.044	0.044 ✓
		103/3/1	0.344	0.200 ✓
		149/2/1	0.046	0.025 ✓
		121/1/1	0.422	0.032 ✓
	योग	6	0.978	0.423
36	अनोखसिंह पिता बापूलाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भू स्वामी	178/1	0.122	0.122 ✓
		121/1/2/3	0.200	0.100 ✓
		149/2/2	0.046	0.046 ✓
		182/2	0.095	0.095 ✓
	योग	4	0.463	0.363
37	बद्रीलाल पिता मुन्नालाल जाति धाकड़ पता पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	115/1/1	0.759	0.759 ✓
		115/2/1/2	1.152	1.152 ✓
		132	0.177	0.177 ✓
		180	0.101	0.101 ✓
	योग	4	2.189	2.189
38	रामचरण कालूराम जाति देशवाली पता पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	115/2/2	0.329	0.329 ✓
		134/2	0.084	0.084 ✓
		143	0.202	0.202 ✓
	योग	3	0.615	0.615
39	गणेशराम जगदीश बद्रीलाल शतानबाई पिता मुन्नालाल जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	115/3/2	0.369	0.369 ✓
		118/1/1	1.427	0.427 ✓
	योग	2	1.796	0.796
40	घोसीबाई पत्नि घुडया जाति देशवाली पता पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	115/4	0.506	0.506 ✓
		138	0.025	0.025 ✓
	योग	2	0.531	0.531
41	घुडिया पुत्र गोपीलाल जाति देशवाली पता नि. ग्राम भूमी स्वामि	119	0.518	0.238 ✓
		129	0.278	0.078 ✓
		130	0.101	0.050 ✓
		135	0.013	0.013 ✓
		136	0.051	0.051 ✓
		146	0.269	0.269 ✓
		147	0.013	0.013 ✓
		148	0.190	0.190 ✓
		160	0.164	0.164 ✓
	योग	9	1.597	1.066
42	गिरवरसिंह पिता अनोखसिंह जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी	121/1/2/1	0.110	0.032 ✓
		103/3/2/1	0.173	0.173 ✓
	योग	2	0.283	0.205
43	गौरवरसिंह पिता उम्मेदराम जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी	102/1/1	0.208	0.118 ✓
		95/2/3	0.114	0.052 ✓
		159/3/2	0.070	0.070 ✓
		159/2/3	0.035	0.035 ✓
	योग	4	0.427	0.275

क्र.सं.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रमाणित भूमि
				योग
1	2	3	4	7
44	किशोर पिता अनोखसिंह जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी	103/3/2/2	0.172	0.172 ✓
	योग	1	0.172	0.172
45	विष्णु प्रसाद पिता कमलसिंह जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी	121/1/3/1	0.111	0.031 ✓
		103/3/3/1	0.172	0.172 ✓
	योग	2	0.283	0.203
46	मनीष पिता कमलसिंह जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी	121/1/3/2	0.111	0.030 ✓
		103/3/3/2	0.173	0.173 ✓
	योग	2	0.284	0.203
47	माहेश पिता शिवनारायण जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी	121/2/2	0.048	0.048 ✓
		123/1/2	0.146	0.146 ✓
	योग	2	0.194	0.194
48	केशर सिंह पिता रामचन्द्र जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी	98/1	0.061	0.061 ✓
		99/1	0.064	0.034 ✓
		103/4/2	0.129	0.129 ✓
		149/1/4	0.013	0.013 ✓
	योग	4	0.267	0.237
49	पवन पिता नवलसिंह जाति धाकड़ निवासी ग्राम भू स्वामी	123/1/3	0.146	0.146 ✓
	योग	1	0.146	0.146
50	नवलसिंह पिता रामचन्द्र जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भू स्वामी	149/1/2	0.014	0.014 ✓
		157/2/3	0.013	0.013 ✓
		161/3	0.044	0.044 ✓
		103/4/1	0.128	0.128 ✓
	योग	4	0.199	0.199
51	लालजीराम पुत्र मोहनलाल जाति देशवाली पता नि. मंगलपुर भूमी स्वामी	122/1	0.082	0.082 ✓
		122/2	0.082	0.082 ✓
	योग	2	0.164	0.164
52	सिंहबाई पिता हरचंद जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामी	161/1	0.177	0.177 ✓
		103/4/5	0.260	0.260 ✓
	योग	2	0.437	0.437
53	भावसिंह पिता उम्मेदराम हि 1/2 केलाश सूरजसिंह रमाबाई पिता जगन्नाथ सोरमबाई बेवा जगन्नाथन देवकरण अल्का शकुनाबाई राधा पूजा टीना पिता दिलीप रामकुंवरबाई बेवा दिलीप जाति धाकड़ पता नि. ग्राम भूमी स्वामी	123/2	0.544	0.180 ✓
		149/3/1/1	0.097	0.097 ✓
		165/1	0.145	0.145 ✓
		166/1	0.013	0.013 ✓
		103/1/1/1	0.345	0.045 ✓
		183/1	0.082	0.082 ✓
	योग	6	1.226	0.562
54	राकेश पिता कमलसिंह भगवतीबाई बेवा कमलसिंह जाति देशवाली पता नि. ग्राम भूमी स्वामी	133/3	0.092	0.092 ✓
	योग	1	0.092	0.092
55	भावनाबाई पिता हरचंद जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमिस्वामी	149/1/6	0.055	0.055 ✓
		99/3	0.069	0.069 ✓
	योग	2	0.124	0.124
56	मांगीलाल हेमराज रमेश राधेश्याम पिता पन्नालाल गीताबाई प्रेमबाई कलाबाई पुत्री पन्नालाल जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमिस्वामी	149/3/2	0.146	0.100 ✓
		156/2	0.146	0.100 ✓
		157/1/1	0.114	0.114 ✓
		165/2	0.146	0.146 ✓
		166/2	0.012	0.012 ✓
		103/1/2	0.517	0.517 ✓
	योग	6	1.081	0.989
57	धापूबाई बेवा रामसिंह जाति देशवाली पता नि. ग्राम भूमि स्वामी	158/1	0.069	0.069 ✓
	योग	1	0.069	0.069

क्र.सं.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रमायित भूमि योग
1	2	3	4	7
58	रघुवीर गोविन्द भूरीबाई पिता हरिसिंह समन्नाबाई बेवा हरिसिंह जाति देशवाली पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू राजस्व	158/2	0.070	0.070 ✓
	योग	1	0.070	0.070
59	फूलसिंह पिता उम्मेदराम जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमिस्वामी	95/2/2	0.114	0.052 ✓
		102/1/4	0.209	0.119 ✓
	योग	2	0.323	0.171
60	अलकेश पिता उम्मेदराम जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमिस्वामी	95/2/4	0.113	0.052 ✓
		102/1/2	0.209	0.119 ✓
		159/1/2	0.070	0.070 ✓
	योग	3	0.392	0.241
61	हरिसिंह पिता उम्मेदराम जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमिस्वामी	95/2/1	0.114	0.052 ✓
		102/1/3	0.209	0.119 ✓
	योग	2	0.323	0.171
62	बनवारीलाल पिता मोतीलाल जाति देशवाली नि. ग्राम भूमिस्वामी	114/1/2	0.119	0.119 ✓
	योग	1	0.119	0.119
63	शिवनारायण पिता रामचंद्र जाति धाकड़ नि. ग्राम भूमिस्वामी	149/1/3	0.014	0.014 ✓
		157/2/2	0.012	0.012 ✓
		161/2	0.044	0.044 ✓
		103/4/3	0.128	0.128 ✓
	योग	4	0.198	0.198
64	राजेन्द्र कुमार पिता गोकुलप्रसाद जाति कुम्हार अरुण पिता रामनारायण जाति ब्राह्मण पता नि नरसिंहगढ	55	1.075	1.075 ✓
	योग	1	1.075	1.075
65	अकलेश पिता उम्मेदराम, राजेश पिता हरिप्रसाद जाति धाकड़ पता नि ग्राम भूमि स्वामी	159/2/2	0.035	0.035 ✓
	योग	1	0.035	0.035
66	मांगीलाल पिता गंगाराम जाति धाकड़ पता नि ग्राम भूमि स्वामी	101	0.291	0.291 ✓
	योग	1	0.291	0.291
	महायोग		33.981	24.043

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 1024-अ-82-2017-18

राजगढ़, दिनांक 27 जून 2019

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना डूब क्षेत्र से प्रभावित ग्राम सुण्डी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की निजी भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-1 की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची :- (1)

भूमि का वर्णन

(क) जिला - राजगढ़

(ख) तहसील - नरसिंहगढ़

(ग) ग्राम - सुण्डी

(घ) क्षेत्रफल - 85.041

पार्वती सिंचाई परियोजना के एफ.टी.एल तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम सुण्डी

स.क.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
1	2	3	
	सुण्डी	97.163	85.041
	कुल योग :-	97.163	85.041

अनुसूची :- (2)

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रमाणीत रकबा
1	2	3	4	5
1	रुकमणी बाई बेवा तुलसी पुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	27/1/2/1	0.827	0.827 ✓
	योग	1	0.827	0.827
2	इमरतपुरी, चचलपुरी, भारतपुरी पिता रतनपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	27/3	0.506	0.506 ✓
		61	0.089	0.089 ✓
	योग	2	0.595	0.595
3	रामप्यारीबाई बेवा पन्नालाल जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	34/1	0.512	0.512 ✓
	योग	1	0.512	0.512
4	फूलसिंह पिता बशीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	36/1	0.170	0.170 ✓
		37	0.860	0.860 ✓
	योग	2	1.030	1.030
5	गीताबाई पति बापुलाल जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	36/2/2	0.515	0.515 ✓
	योग	1	0.515	0.515
6	विजयकुमार पिता कालूराम जाति गुजर निवासी ग्राम साका जागीर भू स्वामी	41/1	0.544	0.350 ✓
		41/2	0.530	0.410 ✓
		15/2/2	1.106	0.492 ✓
	योग	3	2.180	1.252
7	नर्मदापुरी पिता मंगलपुरी कस्तुरीबाई पुत्री मंगलपुरी जाति गुसाई पता नि. ग्राम भू स्वामी	41/3/1	0.188	0.100 ✓
	योग	1	0.188	0.100

	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावीत रकबा
	2	3	4	5
8	गायत्री बाई पति चंचलपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	41/3/2	0.571	0.460 ✓
	योग	1	0.571	0.460
9	लखनपुरी पिता केलाशपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	43/1/1	0.803	0.803 ✓
	योग	1	0.803	0.803
10	नौरंगबाई बेवा सुरजपुरी, दशरथपुरी पिता सूरजपुरी, कमलेशपुरी ना. बा. पिता सूरजपुरी सप माता नौरंग बाई बेवा सूरजपुरी कृष्णाबाई पिता सुरजपुरी जाति गुसाई निवासी पता राजगढ म.प्र सम्पूर्ण भू भाग	43/3/2/1	1.056	1.056 ✓
	योग	1	1.056	1.309
11	धुरीया बाई पन सुरेश सिंह जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	43/7/4	0.285	0.285 ✓
	योग	1	0.285	0.285
12	मोहन पुरी पिता गौला पुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	43/9	0.708	0.708 ✓
		43/10	0.784	0.784 ✓
	योग	2	1.492	1.492
13	लक्ष्मणगिर, बदीगिर, पिता धनगिर, रामकलीबाई बेवा धनगिर जाति गोसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	43/11	0.759	0.759 ✓
	योग	1	0.759	0.759
14	मगपुरी पिता गौलापुरी निवासी ग्राम भू स्वामी	44/1/1/1	0.363	0.363 ✓
	योग	1	0.363	0.363
15	अजय ना.बा. पिता मदनलाल स.प.मा. इमरतबाई बेवा मदन चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	47/1/1/1	0.110	0.110 ✓
	योग	1	0.110	0.110
16	पवित्रा बाई पिता विजेन्द्रसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम सांका भूमि स्वामी	47/2/1	0.886	0.886 ✓
		47/4/1	0.759	0.759 ✓
	योग	1	0.886	0.886
17	रामलाल पिता पुना रामकुवर बाई पति रामलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	52/1/5	0.253	0.253 ✓
	योग	1	0.253	0.253
18	हरिप्रसाद बाबूलाल पिता मेहताब अयोध्याबाई बेवा मेहताब जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	52/1/1	0.506	0.506 ✓
	योग	1	0.506	0.506
19	रामचरण पिता किशन कमलाबाई पति रामचरण जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	52/1/2	0.253	0.253 ✓
	योग	1	0.253	0.253
20	मोरसिंह पिता बशीलाल गोताबाई पति मोरसिंह जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	52/1/3	0.506	0.506 ✓
	योग	1	0.506	0.506
21	बटनलाल पिता भवरलाल गुला बाई पति बटनलाल जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	52/1/6	0.506	0.506 ✓
	योग	1	0.506	0.506
22	मिश्रीलाल पिता उकार हरकुबाई पति मिश्रीलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	52/1/7	0.253	0.253 ✓
	योग	1	0.253	0.253
23	राधेश्याम पिता अमरा सुमित्रा बाई पति राधेश्याम जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	52/1/8	0.253	0.253 ✓
	योग	1	0.253	0.253
24	कोशल्या बाई बेवा शिवपुरी भारत पुरी लालपुरी ना बा पिता शिवपुरी सर माता कोशल्या बाई सीता बाई पुत्री शिवपुरी	52/2	0.506	0.506 ✓
	योग	1	0.506	0.506

	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावीत रकबा
	2	3	4	5
25	कोशलया बाई पति कैलाशपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	82/4/1/1	0.340	0.140 ✓
	योग	1	0.340	0.140
26	परमा पिता कालु जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	52/7	0.732	0.732 ✓
	योग	1	0.732	0.732
27	गोरधन हीरालाल पिता घौसा जाति भगी निवासी ग्राम भू स्वामी	52/8	1.102	1.102 ✓
	योग	1	1.102	1.102
28	कंचनपुरी, अंतरबाई, पदमपुरी, लीलाबाई बेवा पदमपुरी जाति	52/9	0.759	0.759 ✓
	योग	1	0.759	0.759
29	विष्णुगिरी पिता कालुगिरी जाति गुसाई निवासी चम्पी मोहल्ला नरसिंहगढ	52/10	0.506	0.506 ✓
	योग	1	0.506	0.506
30	चन्दनपुरी पिता हजारीपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	52/11	0.506	0.506 ✓
	योग	1	0.506	0.506
31	ओमप्रकाश पिता रतीराम बिन्दाबाई पिता रतीराम जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	52/12	0.506	0.506 ✓
	योग	1	0.506	0.506
32	कैलाशपुरी पिता नन्नुपुरी निवासी ग्राम भू स्वामी	68/1/2	0.291	0.291 ✓
		88	0.228	0.228 ✓
		89	0.190	0.190 ✓
	योग	3	0.709	0.709
33	कैलाश पुरी सुन्दरपुरी रमेशपुरी पिता नन्नुपुरी अनोखबाई बेवा नन्नुपुरी शान्तीबाई पुत्री नन्नुपुरी जाति गुसाई पता नि ग्राम भू स्वामी	83/1	0.245	0.100 ✓
		84/2/3	0.759	0.759 ✓
		85/2	0.462	0.210 ✓
	योग	3	1.466	1.069
34	दिनेश पुरी पिता धन्नापुरी जाति गोसाई पता नि ग्राम भू स्वामी ना.प्र.क. 03 आ. दि. 30/05/2018	57/1	0.063	0.063 ✓
		87/2	0.032	0.032 ✓
	योग	2	0.095	0.095
35	कैलाश पिता पन्नालाल जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	82/1/2	0.759	0.035 ✓
	योग	1	0.759	0.035
36	रामचन्द्र दत्तक पुत्र कन्हैया जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	82/2	1.265	0.250 ✓
	योग	1	1.265	0.250
37	परसराम बलदेव काली बाई कमला बाई पिता मुरल्यामिश्रया पिता उंकार जाति चम्पी निवासी ग्राम भू स्वामी	93	0.228	0.228 ✓
	योग	1	0.228	0.228
38	प्रसादपुरी पिता किशोर जाति गुसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	83/2	0.261	0.060 ✓
	योग	1	0.261	0.060
39	रामचरण गिरधारी नब्बा प्यारा पिता किशन मिश्रीबाई बेवा किशन जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	84/2/2	0.379	0.120 ✓
	योग	1	0.379	0.120
40	हीरालाल पिता घौसालाल जाति महतर निवासी ग्राम भू स्वामी	86/2	1.000	1.000 ✓
	योग	1	1.000	1.000

	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावीत रकबा
	2	3	4	5
41	नमदापुरी पिता वगैरह निवासी ग्राम भू स्वामी	91/1	0.145	0.145 ✓
	योग.	1	0.145	0.145
42	सोरमबाई पिता जगन्नाथ गुर्जर नि.ग्रा. सांका निवासी ग्राम भू स्वामी	10/5	1.240	0.230 ✓
	योग	1	1.240	0.230
43	पारसासिंह भजनसिंह पिता मानसिंह निवासी ग्राम सांका भू स्वामी	10/3/1	0.278	0.278 ✓
		10/4/1	0.822	0.822 ✓
	योग	2	1.100	1.100
44	दयालसिंह, सूरजसिंह पिता बापूलाल उमरावबाई बेवा बापूलाल हि 1/2, नारायणसिंह भम्मीबाई पिता अमरसिंह, गजरीबाई बेवा अमरसिंह, जगदीश, विश्राम सिंह रामसूरी बाई पिता गणपतसिंह, सोनाबाई बेवा गणपतसिंह हि 1/2 जाति गुजर नि ग्राम सांका भू स्वामी	10/6	2.225	0.570 ✓
	योग	1	2.225	0.570
45	राजेन्द्रसिंह, भेलाराम पिता मानसिंह जाति गुर्जर नि.ग्रा. सांका भूमि स्वामी	10/3/2	0.279	0.279 ✓
		10/4/2	0.822	0.822 ✓
		11/2	0.766	0.700 ✓
	योग	3	1.867	1.801
46	शम्भुपुरी पिता केवलपुरी जाति गुसाई नि.ग्रा. भू-स्वामि	87/1	0.259	0.259 ✓
	योग	1	0.259	0.259
47	लक्ष्मणगिर, बंदीगिर पिता धनगिर, रामकलीबाई बेवा धनगिर जाति गुसाई नि.ग्रा. भू-स्वामि	10/9/1	0.822	0.180 ✓
	योग	1	0.822	0.180
48	गोविन्दपुरी पिता तुलसीपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	10/12	1.912	0.917 ✓
		10/14	0.721	0.670 ✓
		43/4/2/1	0.245	0.245 ✓
		95/1	0.132	0.132 ✓
		60	0.051	0.051 ✓
		66/2	0.013	0.013 ✓
		27/1/2/2	0.826	0.826 ✓
		70/1/2/1	0.027	0.010 ✓
	योग	8	3.927	2.864
49	मागूपुरी पिता दरयावासेह जाति गुसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	30/1	0.088	0.088 ✓
		39	0.177	0.177 ✓
		40	2.086	1.910 ✓
	योग	3	2.351	2.175
50	इमरतपुरी पिता मेहताबपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम भू स्वामी	68/2	0.177	0.177 ✓
		85/1	0.183	0.083 ✓
	योग	2	0.360	0.260
51	कमलसिंह पिता बशीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	96/2	0.042	0.042 ✓
		36/2/1	0.516	0.516 ✓
		58/2	0.042	0.042 ✓
		63/2	0.076	0.076 ✓
	योग	4	0.676	0.676
52	जगदीशपुरी पिता प्रेभपुरी निवासी ग्राम भू स्वामी	27/1/1	1.583	1.583 ✓
		27/4/1	0.069	0.069 ✓
		66/5	0.013	0.013 ✓
	योग	3	1.665	1.665

1	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावीत रकबा
2	3	4	5	
53	शैतानबाई पति नन्लाल जाति गोसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	95/2	0.387	0.387 ✓
	योग	1	0.387	0.387
54	बद्रीपुरी पिता प्रभुपुरी निवासी ग्राम भू स्वामी	27/1/3	1.654	1.654 ✓
		66/4	0.012	0.012 ✓
		38/1	0.632	0.632 ✓
		43/6/3/1	0.245	0.245 ✓
	योग	4	2.543	2.543
55	शिवपुरी पिता प्रभुपुरी निवासी ग्राम भू स्वामी	27/1/4	1.583	1.583 ✓
		66/3	0.013	0.013 ✓
		27/4/2	0.070	0.070 ✓
	योग	3	1.666	1.666
56	बटनलाल पिता भंवरलाल महेश गोविन्द पिता बापूलाल समंत्राबाई बेवा बापूलाल जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	27/2/1	0.041	0.041 ✓
	योग	1	0.041	0.041
57	मोडासिंह पिता बशीलाल फूलसिंह पिता बशीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	43/7/1	0.285	0.285 ✓
	योग	1	0.285	0.285
58	फूलसिंह पिता बशीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	65/1/3	0.067	0.067 ✓
	योग	1	0.067	0.067
59	सुरेश पिता रामप्रसाद जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	27/2/3	0.041	0.041 ✓
		65/1/1	0.066	0.066 ✓
		43/7/3	0.284	0.284 ✓
		50/2/3	0.408	0.408 ✓
		50/2/4	0.408	0.408 ✓
		51/2/4	0.127	0.127 ✓
	योग	6	1.334	1.334
60	झनकासिंह जानासिंह कलाश पिता पन्नालाल रामप्यारी बेवा पन्नालाल जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	27/2/4	0.041	0.041 ✓
		65/1/4	0.066	0.066 ✓
		43/7/2	0.284	0.284 ✓
		50/2/1	0.408	0.408 ✓
		51/2/1	0.127	0.127 ✓
		52/4	0.506	0.506 ✓
	योग	6	1.432	1.432
61	राजेशपुरी पिता बद्रीपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	30/2	0.190	0.190 ✓
		42/1	0.253	0.253 ✓
		31	0.126	0.126 ✓
		38/2	0.380	0.380 ✓
	योग	4	0.949	0.949
62	धनापुरी मिश्री पुरी पिता भवरपुरी भवरीबाई बेवा भवरपुरी निवासी ग्राम भू स्वामी	32/1	0.503	0.503 ✓
		33/1	0.031	0.031 ✓
	योग	2	0.534	0.534
63	शिभुपुरी पिता केवल पुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	32/2	0.961	0.961 ✓
		57/2	0.063	0.063 ✓
		33/2	0.032	0.032 ✓
		34/2	0.513	0.513 ✓
	योग	4	1.569	1.569

	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावीत रकबा
	2	3	4	5
64	मोहनपुरी पिता भवरपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	32/3	0.458	0.458 ✓
	योग	1	0.458	0.458
65	परमलाल पिता कालु जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	35/1/1	0.442	0.442 ✓
		69/1	0.133	0.066 ✓
		35/2/1	0.430	0.430 ✓
		35/3/1	0.158	0.158 ✓
		50/3/1	0.563	0.563 ✓
		51/3/1	0.967	0.967 ✓
		65/3/1	0.063	0.063 ✓
	योग	7	2.756	2.689
66	लालचंद पिता कालु जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	35/1/2	0.443	0.443 ✓
		35/2/2	0.430	0.430 ✓
		69/2	0.133	0.066 ✓
		35/3/2	0.158	0.158 ✓
		50/3/2	0.563	0.563 ✓
		51/3/2	0.967	0.967 ✓
		65/3/2	0.063	0.063 ✓
	योग	7	2.757	2.690
67	गोराबाई पत्नि बद्रोपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	42/2	0.759	0.759 ✓
		43/3/2/2	0.506	0.506 ✓
		43/1/2	0.159	0.159 ✓
		43/3/1	0.853	0.853 ✓
	योग	4	2.277	2.277
68	केलाश पुरी पिता भेरूपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	43/2/1	0.720	0.720 ✓
		70/2/1	0.448	0.112 ✓
		68/3	0.051	0.051 ✓
	योग	3	1.219	0.883
69	मोडसिंह पिता बशीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	43/6/4/1	0.200	0.200 ✓
	योग	1	0.200	0.200
70	कमलसिंह पिता बशीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	43/6/4/2	0.184	0.184 ✓
		26/2	0.261	0.230 ✓
	योग	2	0.445	0.414
71	गोपाल पिता बशीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	43/6/4/4	0.084	0.084 ✓
		25	0.721	0.400 ✓
	योग	2	0.805	0.484
72	शिवनारायण पिता बशीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	43/2/2	0.506	0.506 ✓
		43/6/4/3	0.164	0.164 ✓
	योग	2	0.670	0.670
73	गोपाल पिता बशीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	43/4/4/3	0.127	0.127 ✓
	योग	1	0.127	0.127
74	चन्द्रसिंह पिता मांगीलाल जाति गुजर पता नि ग्राम साका जागीर	43/4/1	0.490	0.490 ✓
		43/4/2/2	0.245	0.245 ✓
		43/4/3	0.490	0.490 ✓
		43/4/4/1	0.490	0.490 ✓
		43/4/4/2	0.363	0.363 ✓
		43/6/1	0.632	0.632 ✓
		43/6/2	0.632	0.632 ✓
		43/6/3/2	0.387	0.387 ✓
		43/3/2/1/0002	0.253	0.253 ✓
	योग	9	3.982	3.982

क्र.सं.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रमाणीत रकबा
1	2	3	4	5
75	जोधाराम ना.बा सर पिता चन्दरसिंह पिता मांगीलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भू स्वामी	43/5/1	1.177	1.177 ✓
		44/2	0.177	0.177 ✓
		43/8	0.114	0.114 ✓
	योग	3	1.468	1.468
76	हरीसाद पिता मांगीलाल केशरबाई देवा मांगीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	52/1/9/1/1	0.500	0.500 ✓
		103/1/1	0.479	0.479 ✓
		52/1/10	0.766	0.766 ✓
		82/1/3	0.234	0.234 ✓
		84/1/1/1	0.548	0.548 ✓
		102/1	0.082	0.082 ✓
		86/1/1	0.543	0.543 ✓
	योग	7	3.152	3.152
77	राजेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल जाति गुजर निवासी ग्राम भू स्वामी	47/3/1	0.380	0.380 ✓
	योग	1	0.380	0.380
78	महेश गोविंद पिता बापूलाल सुमित्राबाई देवा बापूलाल जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	49/1	0.683	0.683 ✓
		65/2	0.240	0.240 ✓
		51/1	0.278	0.278 ✓
		50/1	2.402	2.402 ✓
		50/2/2	0.408	0.408 ✓
	योग	5	4.011	4.011
79	जावेद कुरेशी पिता फरीद कुरेशी जाति मुसलमान निवासी ग्राम भू स्वामी	52/1/9/1/2	0.500	0.500 ✓
		84/1/1/2	0.548	0.548 ✓
		86/1/2	0.543	0.543 ✓
		102/2	0.082	0.082 ✓
		103/1/2	0.479	0.479 ✓
	योग	5	2.152	2.152
80	आत्माराम, विनोद, महेश पिता चन्दनसिंह हि. 1/2 सोरमबाई पुत्री मोतीलाल हि. 1/2 जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	52/5	0.506	0.506 ✓
	योग	1	0.506	0.506
81	चन्दरसिंह पिता अमरसिंह जाति बलाई नि. ग. भूमि स्वामी	82/1/4	0.459	0.459 ✓
		52/6/3	0.443	0.443 ✓
		84/1/4	0.230	0.230 ✓
	योग	3	1.132	1.132
82	चुन्नीपुरी पिता बापु पुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	59/1	0.057	0.057 ✓
		101/1	0.138	0.138 ✓
		98/1	0.066	0.066 ✓
		100	0.430	0.430 ✓
	योग	4	0.691	0.691
83	मोहनपुरी पिता कानपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	66/1	0.051	0.051 ✓
		68/1/1	0.038	0.038 ✓
		10/10	0.126	0.060 ✓
	योग	3	0.215	0.149
84	बटनलाल पिता भंवरलाल, महेश, गोविन्द पिता बापूलाल सुमित्राबाई बापूलाल जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	52/3	0.506	0.506 ✓
		51/2/2	0.126	0.126 ✓
		46/1/3	0.206	0.206 ✓
		65/1/2	0.067	0.067 ✓
	योग	4	0.905	0.905

क्र.सं.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावीत रकबा
1	2	3	4	5
85	मानसिंह पिता अमरसिंह जाति बलाई पता नि. ग्राम भू स्वामी	52/6/4	0.442	0.442 ✓
	योग	1	0.442	0.442
86	फूलसिंह पिता बशीलाल अनारबाई पति फूलसिंह जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	52/1/4	0.253	0.253 ✓
	योग	1	0.253	0.253
87	चंचलपुरी, भरतपुरी, इमरतपुरी, पिता रजन जाति गोसाई वासी ग्राम भू स्वामी	28/1	0.144	0.144 ✓
		29/1	0.883	0.883 ✓
	योग	2	1.027	1.027
88	मोडसिंह पिता बंशी जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	28/2	0.084	0.084 ✓
		29/2	0.533	0.533 ✓
	योग	2	0.617	0.617
89	राजेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम सांका जागीर भू स्वामी	47/1/1/2	0.776	0.776 ✓
	योग	1	0.776	0.776
90	राधेश्याम पिता अमरसिंह जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	52/6/1	0.443	0.443 ✓
	योग	1	0.443	0.443
91	गोकल पिता अमरसिंह जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	52/6/2	0.443	0.443 ✓
	योग	1	0.443	0.443
92	रामप्रसाद, बलदेव, कलीबाई, कमलाबाई पिता मुरलया जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	82/4/3/1	0.506	0.350 ✓
	योग	1	0.506	0.350
93	मिश्रया पिता उंकार जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	82/4/3/2	0.506	0.506 ✓
	योग	1	0.506	0.506
94	ओमपुरी पिता ब्रदीपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	26/1/1	0.376	0.300 ✓
	योग	1	0.376	0.300
95	रेशमबाई बेवा चन्दनसिंह, नरानीबाई बेवा प्रेमनारायण, धमेन्द्र, अलकेश, मिथुन पिता प्रेमनारायण, बाबूलाल, सुखराम, अनोयीलाल, सुरेश, रेशमबाई, भूरीबाई, पिता नन्तूलाल देशरथ बंटी राहुल, भूरीबाई, बिंदिया, रचना पिता हरिप्रसाद, राजलबाई बेवा हरिप्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	58/1	0.042	0.042 ✓
		63/1	0.152	0.152 ✓
		96/1	0.084	0.084 ✓
	योग	3	0.278	0.278
96	मेहताबाई बेवा बंशीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	46/1/1	0.206	0.206 ✓
	योग	1	0.206	0.206
97	झनकसिंह, ज्ञानसिंह, कैलाश पिता पन्नालाल रामप्यारीबाई बेवा पन्नालाल जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	46/1/2	0.205	0.205 ✓
	योग	1	0.205	0.205
98	प्रकाशपुरी पिता जगदीश, सैतोष बदामपुरी सियाबाई बेवा बादामपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	101/2	0.634	0.634 ✓
		59/2	0.057	0.057 ✓
	योग	2	0.691	0.691
99	सुनीलपुरी, जमनापुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	98/2	0.692	0.692 ✓
	योग	1	0.692	0.692
100	प्रेमपुरी पिता कानपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	10/1/1/1/1	0.902	0.010 ✓
	योग	1	0.902	0.010
101	गोपाल पिता बंशीलाल जाति बलाई निवासी ग्राम भू स्वामी	27/2/2	0.041	0.041 ✓
		51/2/3	0.126	0.126 ✓
	योग	2	0.167	0.167

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावीत रकबा
2	3	4	5
102 हेमराज पिता कैलाशपुरी जाति गुसाई पता नि. ग्राम भू स्वामी	15/2/1	1.107	0.492 ✓
योग	1	1.107	0.492
103 जोधाराम पिता चन्द्रसिंह जाति गुजर पता नि. ग्राम भू स्वामी	44/1/2	0.776	0.776 ✓
योग	1	0.776	0.776
104 सुरेश पिता रामप्रसाद जाति बलाई पता नि. ग्राम भू स्वामी	46/1/4	0.205	0.205 ✓
योग	1	0.205	0.205
105 घीसालाल चन्दनपुरी जगन्नाथपुरी गोकलपुरी अनारबाई पिता केशरपुरी जाति गुसाई पता नि. ग्राम भू स्वामी	67	0.025	0.025 ✓
योग	1	0.025	0.025
106 जमनीबाई शान्तिबाई पिता बीरभान बाबूलाल, सुखराम, अनोयीलाल, सुरेश, रेशमबाई, भूरीबाई, पिता नन्लाल देशरथ बंटी राहुल, भूरीबाई, बिंदिया, रचना पिता हरिप्रसाद, राजलबाई बेवा हरिप्रसाद जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	82/3	1.265	0.500 ✓
योग	1	1.265	0.500
107 मोतियाबाई पति कमलसिंह जाति गुसाई पता नि. सांकला मगरदा	91/2	0.146	0.146 ✓
योग	1	0.146	0.146
108 श्रीमती अयोध्याबाई पत्नि चंदनपुरी जाति गुसाई पता नि. ग्राम भू स्वामी	99/1	0.347	0.347 ✓
योग	1	0.347	0.347
109 देवकीबाई पत्नि जगन्नाथपुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम भू स्वामी	99/2	0.348	0.348 ✓
योग	1	0.348	0.348
110 दरोपबाई पिता इमरतगिर जाति गुसाई पता नि ग्राम भू स्वामी	70/2/2/2	0.132	0.100 ✓
योग	1	0.132	0.100
111 इमरतगिर पिता गोपी गिर जाति गुसाई पता नि ग्राम भू स्वामी	70/2/2/1	0.052	0.025 ✓
योग	1	0.052	0.025
112 शिवपुरी जगदीश पुरी बंदीपुरी पिता प्रभुपुरी जाति गुसाई पता नि ग्राम भू स्वामी	70/1/2/2	0.081	0.015 ✓
योग	1	0.081	0.015
113 बब्बूपुरी पिता जमनापुरी जाति गुसाई पता नि ग्राम भू स्वामी	71/2	0.152	0.075 ✓
योग	1	0.152	0.075
114 अवधपुरी पिता सेजपुरी पानबाई बेकी सेजपुरी जाति गुसाई पता नि ग्राम भू स्वामी	71/1/2	0.044	0.025 ✓
योग	1	0.044	0.025
महायोग		97.163	85.041

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्रकरण क्रमांक 1050-अ-82-2018-19

राजगढ़, दिनांक 28 जून 2019

अनुसूची

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की ग्राम गडुपुरा के लिए एफ.टी.एल तक डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची-1 की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची :- (1)**भूमि का वर्णन**

- (क) जिला - राजगढ़
(ख) तहसील - नरसिंहगढ़
(ग) ग्राम - गडुपुरा
(घ) क्षेत्रफल - 52.343

पार्वती सिंचाई परियोजना के एफ.टी.एल तक डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि ग्राम गडुपुरा

स.क.	विवरण	भूमि का रकबा (हेक्टेयर में)	
1	2	3	4
	गडुपुरा	86.789	52.343
	कुल योग :-	86.789	52.343

अनुसूची :- (2)

स.क.	नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम	सर्वे नंबर	कुल रकबा	प्रभावित रकबा
1	2	3	4	7
1	मनीराम पिता सेवाराम जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी ना प क्र 3 दि 30.06.2003 अनुसार अहस्तांतरणीय	4/1/4	0.886	0.160
		9/2	0.468	0.408
		20/2	0.253	0.253
		19/2	0.759	0.759
	योग	4	2.366	1.580
2	कमला बाई बेबा मदन जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी ना प क्र 3 दि 30.06.2003 अनुसार अहस्तांतरणीय	4/2/1	1.088	0.240
		योग	1	1.088

3	जमना पिता गोपीलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी ना प क्र 3 दि 30.06.2003 अनुसार अहस्तांतरणीय	4/2/2	1.087	0.056
	योग	1	1.087	0.056
4	अजीम खां ना.बा. पिता अजीज खां पिता नाहरखां जाति मुसलमान पता नि. गेहूखेडी कला भूमि स्वामी	14	0.430	0.390
	योग	12/3	1.032	0.832
	योग	2	1.462	1.222
5	बुधाराम पिता लालजी जाति भोई निवासी ग्राम भू स्वामी अहस्तांतरणीय	4/4	0.700	0.120
	योग	1	0.700	0.120
6	गुलाब पिता गोरीलाल जाति गाडरी निवासी ग्राम भू स्वामी अहस्तांतरणीय	4/5	0.700	0.160
	योग	1	0.700	0.160
7	राजाराम अमृतलाल केशरबाई लीलाबाई सेरमबाई पिता रामप्रसाद जाति भोई निवासी ग्राम भू स्वामी अहस्तांतरणीय	4/7	0.700	0.100
	योग	1	0.700	0.100
8	कमलसिंह पिता बापूलाल जाति मीना निवासी ग्राम भू स्वामी	4/8/2	0.350	0.010
	योग	1	0.350	0.010
9	राजमल पिता बापूलाल जाति मीना निवासी ग्राम भू स्वामी	4/8/1	0.350	0.150
	योग	1	0.350	0.150
10	अवधनारायण दशरथ पिता बट्टलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी	4/9	0.610	0.500
	योग	1	0.610	0.500
11	जसरथ अवधनारायण फूलवतीबाई सम्पतबाई पिता बट्टलाल भूरी, मनीषा, पुत्राण देवीलाल माता सुनीताबाई बेवा देवीलाल जाति चमार नि.ग्रा. भू-स्वामि अहस्तांतरणीय	4/10	0.611	0.500
	योग	1	0.611	0.611
12	केवल, किशन पिता सुखराम जाति मीना निवासी ग्राम भू स्वामी अहस्तांतरणीय	4/11	0.253	0.126
	योग	1	0.253	0.126
13	गंगाराम पिता नाथूलाल जाति भोई निवासी ग्राम भू स्वामी अहस्तांतरणीय	4/12	0.253	0.150
	योग	1	0.253	0.150
14	कैलाश पिता जगन्नाथजाति भोई निवासी ग्राम भू स्वामी अहस्तांतरणीय	4/13	0.253	0.100
	योग	1	0.253	0.253
15	बहादुरसिंह पिता गोपीलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी ग्राम कोटवार सेवा भूमि ना प क्र 3 दि 30.06.2003 अनुसार अहस्तांतरणीय	4/14	0.452	0.050
	योग	28/1/4	1.035	0.320
	योग	77/2	1.548	0.500
	योग	3	3.035	0.870
16	फूलसिंह, विश्रामसिंह पिता बद्रीप्रसाद देशवाली नि. क्रांकरिया भू-स्वामि	19/1/1	0.361	0.300
	योग	20/1/1	0.360	0.360
	योग	18	0.101	0.101
	योग	3	0.822	0.761

	अमीर खाँ ना.बा. पिता अजीज खाँ जाति मुसलमान निवासी ग्राम भू स्वामी	12/1/1	0.807	0.685
	योग	1	0.807	0.685
18	अकील खाँ पिता अजीज खाँ जाति मुसलमान निवासी ग्राम भू स्वामी	12/1/2	0.807	0.685
	योग	1	0.807	0.685
19	अजीजखाँ पिता नाहरखाँ जाति मुसलमान निवासी ग्राम भू स्वामी	12/2	0.516	0.486
		13	0.076	0.076
	योग	2	0.592	0.562
20	विष्णु पिता जसमतसिंह केशरसिंह तुलसीबाई बेवा राधेलाल कान्ताबाई पुत्री राधेलाल जाति ब्रजा निवासी ग्राम भू स्वामी	15	0.164	0.164
		16/1	0.619	0.619
		17/1	1.265	1.265
		17/2/1/1	1.695	1.695
	योग	4	3.743	3.743
21	सरजीतखाँ पिता मदारीखाँ जाति मेवाती निवासी ग्राम गँहूखेडी भू स्वामी	16/2	1.138	1.138
		17/2/1/2	0.632	0.632
	योग	2	1.770	1.770
22	मुजीम खाँ पिता नबी खाँ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	16/3	1.265	1.265
	योग	1	1.265	1.265
23	बुधराम पिता लालजी इमरतलाल केशरबाई, लीलाबाई सोरमबाई पिता रामप्रसाद जाति भोई निवासी ग्राम भू स्वामी	49	0.126	0.090
	योग	1	0.126	0.090
24	बुधराम पिता लालजी जाति भोई निवासी ग्राम भू स्वामी	17/2/2	0.442	0.442
	योग	1	0.442	0.442
25	जसरथ अवधनारायण फूलवतीबाई समपतबाई पिता बटदूल, भूरी मनीषा, किरण पिता देवीलाल माता सुनीता बाई बेवा देवीलाल जाति चमार नि.ग्रा भू-स्वामि	190/1	0.632	0.188
	योग	1	0.632	0.188
26	जसरथ पिता बटदूलाल जाति चमार नि.ग्रा भू-स्वामि ना पा क 3 आदेश दिनांक 29.05.2002 अनुसार अहस्तांतरणीय	17/4	0.253	0.253
		36/4	0.937	0.890
	योग	2	1.190	1.143
27	कमलसिंह पिता बापूलाल जाति भीणा निवासी ग्राम भू-स्वामि	17/3/1	0.348	0.250
	योग	1	0.348	0.250
28	राजमल पिता बापूलाल जाति भीणा निवासी ग्राम भू-स्वामि	17/3/2	0.348	0.250
	योग	1	0.348	0.250
29	श्रीकिशन पिता बापूलाल जाति भीणा निवासी ग्राम भू-स्वामि	45	0.114	0.060
		39/2	0.190	0.050
		21/8/2	0.109	0.109
	योग	3	0.413	0.219
30	छन्नूखाँ पिता पीरखाँ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	17/5	0.260	0.260
	योग	1	0.260	0.260
31	हबीबखाँ पिता नजरखाँ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	17/6	0.260	0.260
	योग	1	0.260	0.260

32	चन्द्रकलौबाई पत्नि नारायणसिंह जाति भोई निवासी ग्राम भू-स्वामि	21/1	0.070	0.070
		21/7	0.051	0.051
		24/1/5	0.265	0.265
		24/2/2	0.050	0.050
		25/2	0.138	0.138
		8/2	0.153	0.026
	योग	6	0.727	0.600
33	श्रीकिशन पिता बापूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम भू-स्वामि	21/2	0.101	0.101
	योग	1	0.101	0.101
34	भूरेसिंह पिता मदनलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू-स्वामि	21/5	0.038	0.038
		21/3	0.051	0.051
	योग	2	0.089	0.089
35	मोरसिंह पिता बापूलाल जाति मीना निवासी ग्राम भू-स्वामि	24/1/3	0.415	0.415
	योग	1	0.415	0.415
36	जमनाप्रसाद बहादुरसिंह पिता गोपीलाल, संतोष, सूरतसिंह पिता मदनलाल, कलाबाई बेवा मदनलाल धापूबाई बेवा गोपीलाल जाति चमार निवासी ग्राम भू-स्वामि	21/4	0.295	0.295
		22	0.076	0.076
		7	0.190	0.090
	योग	3	0.561	0.461
37	गबरू पिता खुशिया जाति चमार निवासी ग्राम भू-स्वामि	21/6	0.038	0.038
		24/1/4	0.051	0.051
		25/1	0.078	0.078
		24/2/1	0.051	0.051
		8/1/3	0.221	0.038
	योग	5	0.439	0.256
38	लखनलाल पिता लक्ष्मीनारायण जाति देशवाली नि.ग्राम पीलूखेडी भू-स्वामि	23	0.025	0.025
		24/1/2	0.051	0.051
		24/1/1	0.051	0.051
	योग	3	0.127	0.127
39	देवीराम पिता बडूलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भू-स्वामि ना पा क 3 आदेश दिनांक 30.06.2003 अनुसार अहस्तांतरणीय	203/1	0.607	0.607
		36/3	0.717	0.717
	योग	2	1.324	1.324
40	जशवंत पिता राधेलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भू-स्वामि ना पा क 3 आदेश दिनांक 09.06.2002 अनुसार अहस्तांतरणीय	36/5	1.000	0.790
	योग	1	1.000	0.790
41	मूलसिंह, सोदानसिंह, अजबसिंह, विनोद पिता रामकिशन, सुनीताबाई, कैलाशीबाई, पुत्री रामकिशन, धापूबाई बेवा रामकिशन जाति मीणा निवासी ग्राम भू-स्वामि	48/1	0.316	0.316
		94/1	0.915	0.400
	योग	2	1.231	0.716
42	नारायण सिंह पिता देवीराम जाति मीणा निवासी ग्राम भू स्वामी	48/2	0.316	0.316
	योग	1	0.316	0.316
43	रसीदखां सईदखां नवीखां पिता हमीदखां जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	44	0.379	0.112
	योग	1	0.379	0.112
44	रघुवीरसिंह पिता जगन्नाथ जाति मीणा निवासी ग्राम भू स्वामी	113/2.	0.190	0.080
	योग	1	0.190	0.080

46	सोहराबखां पिता सुवानखां जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	95/1/1	0.147	0.025
		139/4	0.211	0.100
	योग	2	0.358	0.125
46	संतोष नाबा स प पिता नारायणसिंह पिता देवीराम जाति मीणा निवासी ग्राम भू स्वामी	95/1/2/1	1.284	0.200
		योग	1	1.284
47	फुल सिंह पिता रामकिशन जाति मीना निवासी ग्राम भू स्वामी	95/1/2/2	1.283	0.150
		योग	1	1.283
48	नसीरखां पिता सुवानखां जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	95/2	1.358	0.126
		96/2	1.105	0.759
		97	0.253	0.220
		139/5	0.210	0.100
	योग	4	2.926	1.205
49	अलताबखां पिता सुवानखां जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	96/1	2.714	0.640
		139/3	0.210	0.210
	योग	2	2.924	0.850
50	रामस्वरूप, कैलाश रणजीत पिता सेवाराम जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी ना पा क 4 आदेश दिनांक 29.05.2002 अनुसार अहस्तांतरणीय	114/1/2	0.240	0.040
		योग	1	0.240
51	रसीदखां पिता छोटेखां जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	140	1.518	0.448
		योग	1	1.518
52	निसपतखां पिता उमरखां जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	167	0.923	0.440
		175/1	0.632	0.600
		175/2	0.341	0.341
		186	0.253	0.030
		182,183	1.606	0.050
		187/2	0.721	0.721
	योग	6	4.476	2.182
53	जमीलखां पिता निसपतखां जाति मेवाती निवासी ग्राम शिवपुरा भू स्वामी	181/1	0.648	0.235
		योग	1	0.648
54	कामिलखां पिता निसपतखां जाति मेवाती निवासी ग्राम शिवपुरा भू स्वामी	181/2	0.648	0.235
		योग	1	0.648
55	काशिमखां पिता निसपतखां जाति मेवाती निवासी ग्राम शिवपुरा भू स्वामी	176/3	0.120	0.120
		181/3	0.648	0.235
	योग	2	0.768	0.355
56	मो. हाशिम खां पिता निसपत खां जाति मेवाती निवासी ग्राम शिवपुरा भू स्वामी	176/4	0.121	0.121
		181/4	0.648	0.235
	योग	2	0.769	0.356
57	मेहबूबखां दोलतखां लियाकतखां पिता काल्लू खां मेहरूमबी बेवा इज्जतखां जाति मेवाती निवासी ग्राम शिवपुरा भू स्वामी	185	1.012	0.250
		195/4	0.506	0.506
		196/1	1.101	0.205
		196/2	3.982	1.160
	योग	4	6.601	2.121
58	रईस खां पिता हलीम खां जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	189/1/1	0.131	0.060
		योग	1	0.131
59	अंसउददीन खा पिता हलीम खा जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	189/1/2	0.132	0.060
		योग	1	0.132

60	रमजानी खॉ पिता हलीम खॉ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	189/1/3	0.132	0.060
	योग	1	0.132	0.060
61	शहाबुददीन पिता गुलाबखां जाति मेवाती निवासी ग्राम शिवपुरा भू स्वामी	189/2	0.132	0.050
		205/3	0.200	0.200
		205/8	0.217	0.217
	योग	3	0.549	0.467
62	सत्तार पिता गुलाब खॉ जाति मेवाती नि.ग्रा. शिवपुरा भू-स्वामि	189/3	0.132	0.050
		205/7	0.217	0.217
		205/4	0.200	0.200
	योग	3	0.549	0.467
63	नबीखां पिता गुलाबखां जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	189/4	0.131	0.050
		205/1	0.200	0.200
		205/9	0.217	0.217
	योग	3	0.548	0.467
64	शमसुद्दिन, फकरुद्दीन, करिम खॉ अजीज पिता बाबू खॉ सेतान बाई बाबू खॉ, खेरूनबी रुखसार पुत्रीया बाबू खॉ	189/5	0.131	0.050
		205/5	0.200	0.200
		205/6	0.218	0.218
	योग	3	0.549	0.468
65	छोटेखां पिता गुलाबखां जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	189/5	0.132	0.050
		205/2	0.200	0.200
		205/10	0.217	0.217
	योग	3	0.549	0.467
66	दौलत खॉ पिता कल्लूखॉ जाति मेवाती जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	190/2/1	0.537	0.202
		योग	1	0.537
67	जायदा बी पति मोहबत खॉ जाति मेवाती जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	190/2/2	0.537	0.202
		योग	1	0.537
68	लियाकत खॉ पिता कल्लू खॉ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	190/2/3	0.538	0.202
		योग	1	0.538
69	महरून बी पति इज्जत खॉ जाति मेवाती जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	190/2/4	0.537	0.202
		योग	1	0.537
70	रहीम खॉ हबीब खॉ पिता भोले खॉ जेतून बी सेतून बी तरून बी पुत्रिया भोले खां निवासी ग्राम शिवपुरा भू स्वामी	198/1	1.568	0.410
		योग	1	1.568
71	सलीमखां शरीफखां मुसाफ खां जहीर खॉ, मुन्ना खॉ पि. कल्लूखॉ खॉ मुन्नी बी पुत्री कल्लू खॉ जाति मेवाती नि.ग्रा. भू-स्वामि	198/2	1.568	1.500
		योग	1	1.568
72	फूलसिंह कैलाश पिता गबरू जाति चमार जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी ना पा क 5 अनुसार अहस्तांतरणीय	200	0.417	0.417
		195/1	0.759	0.759
		195/1/1	0.759	0.150
	योग	3	1.935	1.326
73	अवधनारायण पिता बडू जाति चमार निवासी ग्राम भू स्वामी ना पा क 3 आदेश दिनांक 30.06.2000 अनुसार अहस्तांतरणीय	203/2	1.012	1.012
		योग	1	1.012
74	यासनि नजीम खा रफ़ीक खा पिता अहमद जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	204/1	0.948	0.948
		योग	1	0.948
75	हबीब खां पिता नसीर खां जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	204/2/1	0.253	0.253

77	इसलाम पिता अजीजखॉ सलाउददीन सलमान पिता अजीज खॉ मलकीबी बेवा अजीज खॉ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	204/2/2/1	0.382	0.382
	योग	1	0.382	0.382
77	जीमलखा पिता निस्पात खा जाति मेवाती पता शिवपुरा नरसिंहगढ	204/2/2/2	0.313	0.313
	योग	1	0.313	0.313
78	हबीब खां पिता इसब खां जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	39/1	0.189	0.050
	योग	1	0.189	0.050
79	जेबूनबी पत्नि यासीन खां जाति मेवाती निवासी ग्राम भू स्वामी	141/2/1	0.733	0.334
		195/2	0.506	0.120
	योग	2	1.239	0.454
80	वहीद खां पिता चांद खां निवासी ग्राम भू स्वामी	195/3	1.505	1.100
	योग	1	1.505	1.100
81	आत्माराम पिता बापूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम भू-स्वामि	24/1/6	0.018	0.018
		21/8/1	0.196	0.196
		25/3/2	0.044	0.044
	योग	3	0.258	0.258
82	मोड़सिंह पिता बापूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम भू-स्वामि	25/3/1	0.132	0.132
		12/1/3/2	0.449	0.449
		8/3	0.126	0.040
	योग	3	0.707	0.621
83	उमरावबाई बेवा बापूलाल जाति मीणा निवासी ग्राम भू-स्वामि	6/6	0.255	0.255
	योग	1	0.255	0.255
84	मनीराम, रंजीत, कैलाश, रामस्वरूप पिता सेवाराम, सोद्राबाई, तेज कुंवर पुत्रीयों सेवाराम जाति चमार निवासी ग्राम भू-स्वामि	19/1/2	0.397	0.330
		20/1/2	0.298	0.298
	योग	2	0.695	0.628
85	उमरीबाई बेवा बल्लू खॉ जाति मेवाती निवासी ग्राम भू-स्वामि	195/1/2	0.759	0.759
	योग	1	0.759	0.759
86	रामस्वरूप, कैलाश, रणजीत पिता सेवाराम जाति चमार पता निवासी ग्राम भू स्वामी ना पा क 4 आदेश दिनांक 29.05.2002 अनुसार अहस्तांतरणीय	73	0.355	0.355
		75/1	0.689	0.689
		2	1.044	1.044
87	रामप्रसाद पिता अमरसिंह जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भू स्वामी	74/1	0.158	0.158
		76/1	0.702	0.480
		1	0.860	0.638
88	शिमभूसिंह पिता अमरसिंह जाति गाडरी पता निवासी ग्राम भू स्वामी	74/2	0.158	0.158
		1	0.158	0.158
89	भागीरथ रूगनाथ नारान पिता बुददाशांतिबाई रामप्यारीबाई पुत्रीया बुधा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ना पा क 4 आदेश दिनांक 29.05.2002 अनुसार अहस्तांतरणीय	75/2,80/1	0.050	0.050
	योग	1	0.050	0.050
90	नन्नेखा पिता हलीम खा पता निवासी ग्राम भू स्वामी	189/1/4	0.132	0.060
	योग	1	0.132	0.060

91	अजीज खा पिता हलील खा पता निवासी ग्राम भू स्वामी	189/1/5	0.131	0.060
	योग	1	0.131	0.060
92	अनीसखा पिता उमराखा खा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	193	1.960	0.800
		194	0.885	0.340
	योग	2	2.845	1.140
93	इकबालखा पिता हबीब खा जाति मेवाती पता निवासी ग्राम गेहूखेडी कला	256/2	1.114	1.114
	योग	1	1.114	1.114
94	विष्णु पिता राधेलाल जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी ना पा क 3 आदेश दिनांक 30.06.2003 अनुसार अहस्तांतरणीय	4/1/3	0.886	0.886
	योग	1	0.886	0.886
95	रामचरण पिता लालजी जाति भोई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	4/6	0.700	0.010
	योग	1	0.700	0.010
96	रमेश पिता गबरु जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	36/2	1.012	1.012
	योग	1	1.012	1.012
	महायोग		86.789	52.343

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
निधि निवेदिता, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
जिला भोपाल-सीहोर-रायसेन, मध्यप्रदेश
कचनार, ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी, भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2019

क्रमांक 1580-नगानि-जि.का.-2019-भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2019 द्वारा सूचित किया जाता है कि सीहोर निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान में भूमि उपयोग से संबंधित मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति आयुक्त, भोपाल संभाग, कलेक्टर जिला सीहोर, नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिये दिनांक 5 जुलाई 2019 से उपलब्ध है।

निवेश क्षेत्र अनुसार अनुसूची

1. उत्तर—ग्राम-बिजोरा, बिजोरी, राजूखेड़ी, जमुनियाकंला, थुनाखुर्द, थुनाकलों, लसुड़िया परिहार एवं जमनी उत्तरी सीमा तक.
2. पूर्व—ग्राम-थुनाकलों, लसुड़िया परिहार, जमनी, पाड़ली, बारवानखेड़ी, कुलासकलां, सिंकन्दरगंज, चौनपुरा, भान्देली, खुरानिया की पूर्व सीमा तक.
3. दक्षिण—ग्राम-गुड़भेला, हसनाबाद, डाबोटी, बामुलिया, सीहोर, सागोनी, बरखेड़ा, बजावत, इमलीखेड, गेरूखान, पाटनी, बिलकिसगंज, खुरानियां दक्षिणी सीमा तक.
4. पश्चिम—ग्राम-बिजौरा, अवनतीपुरा, शिवपुरी, शाहपुर कोदिया, रफीकगंज, गुडभेला, हसनाबाद, डाबोटी की पश्चिमी सीमा तक.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किये गये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल को "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने पर सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें.

क्रमांक 1580-नगानि-जि.का.-2019-भोपाल, दिनांक 3 जुलाई 2019 द्वारा सूचित किया जाता है कि भोपाल निवेश क्षेत्र के लिये वर्तमान में भूमि उपयोग से संबंधित मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन तैयार किया गया है और उसकी एक प्रति आयुक्त, भोपाल संभाग, कलेक्टर जिला भोपाल नगर तथा ग्राम निवेश विभाग तथा संबंधित स्थानीय प्राधिकारियों के कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण के लिये दिनांक 5 जुलाई 2019 से उपलब्ध है।

निवेश क्षेत्र अनुसार अनुसूची

1. उत्तर—ग्राम-फंदा कलां, खोरी, बरखेड़ा, सालम, परवलिया सड़क, चंदु खेडी, कुराना, मनीखेड़ी कोट, रोजीबेग, राताताल, खजूरी, निपानिया जाट, खामखेड़ा, इमलिया एवं सूखी सेवानिया की उत्तरी सीमा तक.
2. पूर्व—ग्राम-सूखी सेवानिया, पिपलिया जाहिरपीर, अनन्तपुरा, शांतिनगर, आदमपुर छावनी, बिलखिरियाकलां, नरोन्हा सांकल (सांकल पडरिया), डगरौली, जमुनियाकलां, पिपलिया हटेला, नरेला बाज्याफत, बगरौदा, बंगरसिया पूर्व सीमा तक.
3. दक्षिण—ग्राम-खुर्चनी, आवंला, समसपुरा, बाबलीखेड़ा कालापानी, गोल, शोभापुरा जहज, पंचामा, बन्दोरी, सुरैया नगर, खाड़ाबाद, कोटरा, खाड़ाबाद, पिपलयारानी, समरधा कलियासोत, दीपड़ी, बंगरसिया एवं बगरौदा दक्षिणी सीमा तक.
4. पश्चिम—ग्राम-परवलिया सड़क (शाहपुरा), भौरी, बरखेड़ा सालम, खौरी, धमनियां, फंदाकलां, फदाखुर्द, हताईखेड़ी, सेस्टाखेड़ी, टीलाखेड़ी, कल्याणपुर, देहरियाकलां, खुरचनी एवं आमला की पश्चिमी सीमा तक.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव इस प्रकार तैयार किये गये वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र से संबंधित हो, उसे लिखित में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय भोपाल को "मध्यप्रदेश राजपत्र" में इस सूचना के प्रकाशित होने के 30 दिन की अवधि समाप्त होने पर सम्यक् विचार हेतु प्रस्तुत करें.

सुनीता सिंह, संयुक्त संचालक.

कार्यालय, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील सांवेर, जिला इन्दौर, (मध्यप्रदेश)

राजस्व प्रकरण क्रमांक-27-अ-82-2017-18

क्रमांक 2309-भू-अर्जन-2019

सांवेर, दिनांक 20 जून 2019

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-258/भू-अर्जन/2018-19, सांवेर, दिनांक 22-01-2019 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.01.2019 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	बरोदा अर्जुन, प.ह.नं.- 53	215/7	0.021
			217	0.012
			228/3 पैकी	0.016

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	बरोदा अर्जुन, प.ह.नं.- 53	226/1	0.009
			227/1	0.004
			226/2	--
			227/2	0.007
			226/3	--
			227/3	0.010
			228/1	0.005
			228/3	0.014
			332	0.016
			358	0.009
			370/1	0.022
			357	0.012
			333/2/1	0.016
			335/2/1	0.014
			336/2	0.005
			337/2	0.016
			337/483	0.011
			339/1/2/1	0.008
			338	0.008
			339/1/2/2	0.022
			347/1/2	0.004
			347/1/3	0.008
			347/1/4	0.007
			347/2	0.006
			347/4	0.007
			347/5	0.005
			347/8	0.002
			347/3	0.010
347/6	0.007			
348/1	0.016			

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	साँवेर	बरोदा अर्जुन, प.ह.नं.- 53	348/2	0.025
			351/2/1	0.002
			351/2/2	0.002
			351/4/3/2	0.006
			351/3	0.013
			351/5	0.008
कुल योग			37	0.385

राजस्व प्रकरण क्रमांक-06-अ-82-2017-18

क्रमांक 2315-भू-अर्जन-2019

प्ररूप-"घ"
(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-3569/भू-अर्जन/2018, साँवेर, दिनांक 27-09-2018 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.10.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	खाडाखेडी, प.ह.नं.- 12	20/2/1	0.010
			20/2/2	0.024
			21/1	0.009
इन्दौर	सांवेर	खाडाखेडी, प.ह.नं.- 12	21/2	0.016
			22	0.035
			56	0.018
			29/2	0.026
			43/3	0.003
			44	0.020
			46/2/1	0.002
			46/3	0.017
			46/4	0.011
			46/5	0.016
			55	0.062
			85/2	0.013
			88/2	0.043
			91/3/1	0.008
			91/3/2	0.008
			91/4/1	0.010
			91/4/2	0.008
91/5	0.012			
91/6/1	0.015			
कुल योग			22	0.386

राजस्व प्रकरण क्रमांक-21-अ-82-2017-18

क्रमांक 2330-भू-अर्जन-2019

प्ररूप-"घ"

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-3589/भू-अर्जन/2018, सांवेर, दिनांक 27-09-2018 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.10.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	पुवाड़ हप्पा, प.ह.नं.- 47	169/1/2	0.044
			169/2/2	0.037
			191/2	0.005
			193/2/3	0.005
			193/3	0.021

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	पुवाड़ हप्पा, प.ह.नं.- 47	194/1/1	0.011
			194/2/1	0.022
			196	0.009
			197/2	0.007
			197/1	0.005
			198	0.011
			240/1	0.024
			240/2/1	0.011
			240/2/2	0.014
			240/2/3	0.016
			259/2	0.039
			259/3	0.018
			261/1	0.026
			261/2	0.013
			261/3	0.001
			262	0.028
			263/1	0.005
			268/1/3	0.028
			269/3	0.067
278/2/2	0.001			
कुल योग			25	0.468

राजस्व प्रकरण क्रमांक-19-अ-82-2017-18

क्रमांक 2339-भू-अर्जन-2019

प्ररूप-“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-3572/भू-अर्जन/2018, सांवेर, दिनांक 27-09-2018 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.10.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	पलासिया, प.ह.नं.- 62	1	0.036
			2/2	0.007
			7/2	0.081
			624/1/2	0.041
			625/2/1	0.042

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का कमांक	खसरा कमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	पलासिया, प.ह.नं.- 62	629/1/1	0.022
			630	0.006
			631/1	0.023
			631/2	0.012
			653	0.008
			659	0.048
			661/2	0.023
			662	0.032
			664	0.016
			679/2	0.005
			679/3	0.029
			681/1	0.018
			682	0.040
			683/4	0.001
			684/1	0.010
			684/2	0.010
			685/1	0.019
			684/3	0.010
			684/4	0.010
			706	0.013
			707	0.027
			708	0.017
			709/1/5	0.006
			709/1/6	0.003
709/1/7	0.004			
709/2	0.027			
714	0.015			
773/6	0.011			
773/7	0.014			
कुल योग			34	0.686

राजस्व प्रकरण क्रमांक-11-अ-82-2017-18

क्रमांक 2342-भू-अर्जन-2019

प्ररूप-“घ”

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-3579/भू-अर्जन/2018, सांवेर, दिनांक 27-09-2018 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.10.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	सोलसिधी, प.ह.नं.- 13	46/1/2	0.014
			48/1	0.016
			48/2	0.009

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	सोलसिधी, प.ह.नं.- 13	49/1	0.005
			49/2	0.026
			54	0.006
			58	0.027
			57	0.005
			59	0.036
			60	0.013
			112/2	0.006
			113	0.018
			114	0.022
			118/1/2	0.016
			118/2/1	0.011
			119	0.017
			120	0.012
			127/1	0.014
			127/2	0.003
			303/3	0.014
			304/1	0.008
			314	0.038
			312/1	0.023
313/1/1	0.031			
312/2	0.030			
313/2	0.005			
315	0.022			
316/2/3	0.002			
कुल योग			28	0.449

राजस्व प्रकरण क्रमांक-04-अ-82-2017-18

क्रमांक 2348-भू-अर्जन-2019

प्ररूप-“घ”
(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक-3559/भू-अर्जन/2018, सांवेर, दिनांक 27-09-2018 द्वारा, राज्य सरकार ने ग्राम- मुण्डला दोसदार तहसील एवं जिला इन्दौर से ग्राम- हरियाखेड़ी, तहसील एवं जिला- उज्जैन तक उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना की भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन में जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.10.2018 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा- 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	बिलोदा नायता, प.ह.नं.- 11	198/4	0.010
			212/1	0.038
			199/1	0.009
इन्दौर	सांवेर	बिलोदा नायता, प.ह.नं.- 11	199/2	0.006
			200/1	--
			201/2	0.025
			207	0.027
			208	0.018
			209	0.017
कुल योग			8	0.150

क्रमांक 2376-भू-अर्जन-2019

सांवेर, दिनांक 28 जून 2019

प्ररूप-“ख”

[नियम-5 का उपनियम (2)]

क्रमांक- 25/अ-82/18-19 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैनी-उज्जैन पाईपलाईन योजना के अंतर्गत आर0डी0 33020 मीटर से क्षिप्रा बैराज में पानी पहुंचाने के लिये भूमिगत ग्रेविटीमेन पाईप लाईन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु मध्यप्रदेश राज्य कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक- 32, बड़वाह, जिला-खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा- 3 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सांवेर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची ::

जिला	तहसील	ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5
इन्दौर	सांवेर	बुढी बरलाई, प.ह.नं.- 52	229/1	0.035
			229/2	0.005
			234	0.044
इन्दौर	सांवेर	बुढी बरलाई, प.ह.नं.- 52	235/1	0.011
			236/1	0.014
			235/2	0.020
			236/2	0.014
			275/1	0.003
			275/2	0.021
			276/1/3	0.015
			277	0.023
कुल योग			11	0.205

रवीश श्रीवास्तव, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन
उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 14 जून 2019

प. क्र. 536-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	अमवा-10	1.000	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 10 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 538-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	दुअरा-271	1.000	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 540-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने

की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के चन्देह माइनर एवं सब-माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	भौवार-464	0.100	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.).	बहुती नहर के चन्देह माइनर क्र. 12 के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 542-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	डगरदुआ-200	3.000	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 544-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	रनगढ़-490	1.000	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 546-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	मनगवां	बहेरा-351	3.000	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 548-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	कोलहाई-90	0.100	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 550-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	भूमि का वर्णन			धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	सिरमौर	धमाका-258	1.500	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 552-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	मनकुआ-820	1.500	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, जिला रीवा (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर नहर निर्माण हेतु.

प. क्र. 554-प्रशा.-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में अर्जित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. चूंकि बहुती नहर के डगडगपुर वितरक के माइनर नहर में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं इसी वितरक नहर के माइनर एवं सब-माइनर निर्माण हेतु कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 11 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हे. में)	प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
रीवा	नईगढ़ी	तिवरीगवां-433	0.500	कार्यपालन यंत्री, क्यौंटी नहर संभाग, जिला रीवा, (म. प्र.).	डगडगपुर वितरक के माइनर नहर निर्माण हेतु.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. कुलेश, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मण्डला, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

मण्डला, दिनांक 20 जून 2019

क्र. भू-अर्जन-2018-19-77.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्ति को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित

अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	अधिनियम की धारा 12 के तहत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम एवं प.ह.नं.	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
मण्डला	बिछिया	लोहटा वन ग्राम वनकक्ष क्रमांक 1458.	कुल . . 3.62	कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग, क्र. 2, मण्डला.	हालौन सिंचाई परियोजना बाँई तट अंतर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.	

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in. व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in. पर भी देखी जा सकती है.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), बिछिया या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जगदीश चन्द्र जटिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 जून 2019

क्र. 174-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत हो गया है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लिखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ.

चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदल वर्तमान में भू-अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम, की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है, और इस कारण अधिनियम की धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:—

अनुसूची

जिला	तहसील	भूमि का वर्णन		लगभग क्षेत्रफल (हेक्टर में)	धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
		ग्राम	ग्राम			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
रीवा	सेमरिया	गोदहा	0.336	कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रीवा.	रीवा-बीड़ा-सेमरिया मार्ग के कि.मी. 28/10 में टमस नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग का निर्माण कार्य.	

(2) भूमि का नक्शा (प्लान) कलेक्टर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ओमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
शिवपुरी, दिनांक 25 जून 2019

क्र. 84.—जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम—राजापुर, तहसील—खनियाधाना, जिला—शिवपुरी में कुल 14.693 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

भूमि का विवरण			अनुसूची		धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	खनियाधाना	राजापुर	83	0.200	परियोजना प्रबंधक ओर नदी	लोअर ओर वृहद सिंचाई
			84	0.070	परियोजना प्रबंधन इकाई	परियोजना के अंतर्गत वाहक
			177	0.360	बामौरकलां, जिला शिवपुरी	नहर का निर्माण कार्य.
			178	0.240	(म. प्र.).	
			179	0.020		
			185	0.030		
			186	0.120		
			187	0.090		
			201	0.110		
			199	0.160		
			198	0.320		
			200	0.007		
			209	0.450		
			323	0.150		
			326	0.070		
			721	0.090		
			722	0.220		
			752	0.005		
			753	0.200		
			754	0.260		
			755	0.180		
			758	0.130		
			759	0.130		
			760	0.120		
			762	0.140		
			763	0.130		
			774	0.005		
			773	0.002		
			764	0.080		
			765	0.060		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			766	0.050		
			771	0.060		
			767	0.020		
			768	0.020		
			769	0.004		
			770	0.150		
			798	0.050		
			797	0.020		
			803	0.050		
			937	0.002		
			805	0.070		
			826	0.170		
			827	0.190		
			830	0.330		
			831	0.050		
			939	0.100		
			940	0.120		
			942	0.140		
			941	0.100		
			944	0.120		
			1036	0.350		
			1033	0.030		
			1083	0.001		
			1092	0.190		
			1093	0.120		
			1094	0.040		
			1091	0.100		
			1090	0.120		
			1099	0.030		
			1100	0.100		
			1108	0.040		
			1106	0.030		
			1104	0.240		
			1120	0.080		
			1122	0.080		
			1123	0.200		
			1124	0.090		
			1115	0.100		
			1125	0.030		
			1190	0.700		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			1191	0.250		
			1193	0.060		
			1162	1.220		
			1194	0.190		
			1159	0.090		
			1195	0.060		
			1196	0.260		
			1198	0.090		
			1197	0.400		
			1216	0.580		
			1217	0.730		
			1218	0.110		
			1221	0.330		
			1220	0.020		
			1249	0.550		
			1261	0.020		
			1256	0.110		
			1255	0.210		
			1252	0.360		
			1121	0.010		
			1222	0.040		
			1247	0.120		
			1353	0.200		
			1355	0.060		
			1354	0.050		
			योग . .	14.693		

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) और धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट परियोजना संचालक और नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे।

क्र. 85.—जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम सिलपुरा, तहसील खनियाधाना, जिला-शिवपुरी में कुल 12.284 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

भूमि का विवरण			अनुसूची		धारा 12 के अन्तर्गत	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)	प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	खनियाधाना	सिलपुरा	376	0.380	परियोजना प्रबंधक ओर नदी	लोअर ओर वृहद सिंचाई
			373	0.220	परियोजना प्रबंधन इकाई	परियोजना के अंतर्गत वाहक
			364	0.120	बामौरकलां, जिला शिवपुरी	नहर का निर्माण कार्य.
			372	0.010	(म. प्र.).	
			348	0.070		
			368	0.210		
			367	0.210		
			366	0.040		
			363	0.020		
			550	0.150		
			549	0.580		
			541	0.210		
			542	0.150		
			532	0.020		
			535	0.070		
			540	0.030		
			537	0.400		
			640	0.430		
			639	0.220		
			624	0.020		
			620	0.310		
			622	0.650		
			1906	0.002		
			1904	0.190		
			1916	0.420		
			1900	0.910		
			1905	0.460		
			1915	0.720		
			2001	0.370		
			2002	0.090		
			2004	0.440		
			2005	0.110		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			2009	0.500		
			2011	0.030		
			2024	0.120		
			2025	0.530		
			2026	0.002		
			2027	0.050		
			2030	0.040		
			2108	0.020		
			2109	0.040		
			2115	0.970		
			2112	0.340		
			2111	0.260		
			2023	0.490		
			2113	0.230		
			2118	0.120		
			2110	0.310		
			योग . . . 12.284			

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) और धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे।

क्र. 86.—जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए ग्राम गोरवर, तहसील खनियाधाना, जिला-शिवपुरी में कुल 10.13 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

अनुसूची					धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि का विवरण			सर्वे नंबर	रकबा (हे. में)		
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
शिवपुरी	खनियाधाना	गोरवर	9	0.58	परियोजना प्रबंधक ओर नदी परियोजना प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी (म. प्र.).	लोअर ओर वृहद सिंचाई परियोजना के अंतर्गत वाहक नहर का निर्माण कार्य.
			11	0.07		
			10/1	0.20		
			10/2	0.39		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
			8	0.04		
			17	0.17		
			29	0.59		
			28	1.07		
			27	0.35		
			49	0.38		
			50	0.31		
			51	0.96		
			52	0.86		
			68	0.33		
			67/2	0.06		
			78	1.03		
			77	0.97		
			70	0.95		
			75	0.01		
			74	0.01		
			73	0.79		
			72	0.01		
			योग . .	<u>10.13</u>		

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) और धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), पिछोर के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट परियोजना संचालक ओर नदी परियोजना जल प्रबंधन इकाई बामौरकलां, जिला शिवपुरी अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद परियोजना प्रबंधक को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों फाइल किए जा सकेंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अनुग्रह पी., कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 31 मई 2019

पत्र क्र. 143-भू-अर्जन-2019.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा (म. प्र.)
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) ग्राम—रहना
(घ) क्षेत्रफल लगभग—0.150 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
134/1	
134/2	
134/3	
134/4	
134/5	
134/6	
134/7	0.150
134/8	
134/9	
134/10	
134/11/1	
134/11/2	
134/12	
योग . . .	<u>0.150</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग अन्तर्गत बमरहा नहर योजना का निर्माण कार्य के अन्तर्गत आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित संपत्तियों के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 21 जून 2019

क्र. 175-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—हनुमना
(ग) नगर/ग्राम—पांती मिश्रान
(घ) क्षेत्रफल लगभग—5.581 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1115	0.250
1118	0.051
1117	0.300
1120	1.618
1126	0.272
1127	0.216
1129	1.540
1160/1	0.096
960	0.125
1475/1120	0.174
निजी भूमि योग . .	<u>4.642</u>
शासकीय भूमि	
1115/3	0.093
1119	0.737
1411/960	0.109
योग . . .	<u>0.939</u>
महायोग . . .	<u>5.581</u>

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्री, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा के अन्तर्गत गोपला बांध योजना के डूब क्षेत्र हेतु.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्र. 176-भू-अर्जन-2019-20.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी /शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—हनुमना

(ग) नगर/ग्राम—देवरी

(घ) क्षेत्रफल लगभग—34.877 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
131	0.116
132	0.113
130	1.495
129	0.156
133	0.036
134	0.372
135	0.575
136	0.613
137	0.251
138	0.122
139	0.388
140	0.334
141	0.244
142	0.230
143	0.575
144	0.340
145	0.489
146	0.409
147	0.613
148	0.743
150	2.140
128	0.534
127	0.283
126	0.173
125	0.170

(1)	(2)
123	0.040
122	0.518
121	0.394
120	0.203
119	0.251
118	0.081
117	0.204
116	0.049
115	0.170
114	0.251
113	0.064
111	0.262
110	0.397
109	0.073
108	0.206
107	0.045
104	0.384
105	0.636
106	0.045
153	0.167
91	0.462
89	0.720
88	5.929
87	0.211
86	0.196
85	0.211
84	0.763
83	2.260
82	0.820
80	0.154
79	0.128
78	0.112
52	0.176
48	1.370
36	2.214
35	0.040
34	0.240
	योग . . . 31.960
	शासकीय भूमि
152	0.040
149	0.153
151	1.85
124	0.530
81	0.709
	योग . . . 2.917
	महायोग . . . 34.877

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्रि, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा के अन्तर्गत गोपला बांध योजना के डूब क्षेत्र हेतु.	(1)	(2)
	173	1.668
	174	0.081
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.	148	0.026
	149	2.606
	146	0.346
क्र. 177-भू-अर्जन-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी / शासकीय भूमि पर स्थित भूमि के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—	150	0.973
	151	0.024
	147	0.405
	176	0.081
	177	0.765
	175	0.170
	178	0.077
	189	2.436
अनुसूची	190/1	0.379
(1) भूमि का वर्णन—	191	0.979
(क) जिला—रीवा	192	1.283
(ख) तहसील—हनुमना	193	1.572
(ग) नगर/ग्राम—गोपला	194	0.098
(घ) क्षेत्रफल लगभग—55.756 हेक्टेयर.	240	0.722
खसरा नं.	198	10.379
अर्जित रकबा (हे. में)	200	1.133
(1)	199	0.656
152	201	7.419
154	232	0.368
155	233	1.128
156	231	0.056
157	230	0.717
158	229	0.061
159	228	0.611
160	227	0.049
161	225	0.115
162	226	0.320
163	221	0.977
164	202	0.040
165	203	0.988
166	204	0.272
167	206	5.678
168	209	0.038
169	211	0.193
170	219	0.058
171	179	0.053
172		

(1)	(2)	(ग) कस्बा—उज्जैन	(घ) अर्जित रकबा—4.452 हैक्टेयर.
180	0.017	खसरा	अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा
181	0.160	क्रमांक	(हैक्टेयर में)
योग . .	52.764	(1)	(2)
शासकीय भूमि		2331 मिन	0.062
190/2	0.093	2332/1	0.303
188	0.576	2332/2	0.439
239	0.426	2332/3	0.334
200	1.133	2333 मिन	0.300
207	0.364	2334 मिन	0.076
208	0.400	2390	0.042
योग . .	2.992	2391	0.136
महायोग . .	55.756	2393/1	0.167
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है—कार्यालय, कार्यपालन यंत्र, अपर पुरवा नहर संभाग रीवा के अन्तर्गत गोपला (बाध एवं डूब क्षेत्र एप्रोच, स्पिल चैनल वेस्टवियर योजना का निर्माण कार्य.		2393/2	0.094
		2394	0.073
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर, रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.		2395	0.314
		2396	0.052
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ओमप्रकाश श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.		2397	0.491
		2398	0.408 एवं मोबाईल टावर-3
		2399	0.125
		2382	0.125
कार्यालय, कलेक्टर, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग		2400	0.031
उज्जैन, दिनांक 6 जून 2019		2331 मिन	0.011
क्र. 6077-भू-अर्जन-2019-प्र. क्र.09-अ-82-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 क्रमांक 30 सन् 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—		2333 मिन	0.038
		2333 मिन	0.046
		2333 मिन	0.046
		2333 मिन	0.046 एवं ट्यूबवेल 1 बंद.
		2333 मिन	0.046
		2333 मिन	0.074
		2417/2 मिन	0.063
		2417/2 मिन	0.071
		2417/2 मिन	0.142
		2418/2	0.010
		2424	0.021
		2425	0.157
अनुसूची			
(1) भूमि का वर्णन—			
(क) जिला—उज्जैन			
(ख) तहसील—उज्जैन			

(1)	(2)	क्र. 6078-भू-अर्जन-2019-प्र. क्र. 10-अ-82-2018-19.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:—
2417/1	0.058	
2418/1	0.021	
2421	0.030 एवं कुआं-1.	
2333	कुआं-1.	
2334	मकानात-6	
	(1) कृष्णाबाई पति सालगराम 22x50 वर्गफीट.	अनुसूची
	(2) शंकरलाल पिता मोहनलाल 20x50 वर्गफीट.	(1) भूमि का वर्णन— (क) जिला—उज्जैन (ख) तहसील—उज्जैन (ग) कस्बा—उज्जैन (घ) अर्जित रकबा—0.175 हैक्टेयर.
	(3) ममता चौहान पति कमल चौहान 20x50 वर्गफीट.	खसरा अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा क्रमांक (हैक्टेयर में) (1) (2)
	(4) शोभाबाई पति हेमराम 22x50 वर्गफीट.	2119/3/2 0.175 (नीम-8, सुरजना-2, बिल्व पत्र-2, सेतुस-1, पीपल-1, फूल- दार वृक्ष-5).
	(5) दिनेश नामदेव पिता मोहनलाल 20x50 वर्गफीट.	योग . . . 0.175
	(6) मंजुलाल 20x50 वर्गफीट.	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास दर्शनार्थियों को जनसुविधा की दृष्टि से पार्किंग सुविधा के अंतर्गत.
योग . . .	4.452	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन तथा प्रशासक श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति, उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है—श्री महाकालेश्वर मंदिर के आसपास दर्शनार्थियों को जनसुविधा की दृष्टि से पार्किंग सुविधा के अंतर्गत.		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, उज्जैन तथा प्रशासक श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति, उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है.		

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 21 जून 2019

क्र. B-3008-दो-3-32-2006.—श्री एस.एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 06 से 08 जून 2019 तक तीन दिवस के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 09 से 14 जून 2019 तक छः दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 एवं 16 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस.एस. रघुवंशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस.एस. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3010-दो-2-63-2017.—श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को दिनांक 20 से 25 मई 2019 तक, छहः दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 26 मई से 09 जून 2019 तक पन्द्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अलीराजपुर को अलीराजपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3013-दो-2-80-2017.—श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को दिनांक 20 से 23 मई 2019 तक चार दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री जी. पी. अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री जी. पी. अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. B-3015-दो-2-33-2018.—श्री हितेन्द्र सिंह सिसौदिया, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक

28 मई से 02 जून 2019 तक छहः दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 31 मई से 02 जून 2019 तक तीन दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है।

क्र. C-2828-दो-2-117-2017.—श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 06 से 15 मई 2019 तक दस दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कुमार अग्रवाल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्प्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. C-2830-दो-2-13-2015.—श्री अखिलेश जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को दिनांक 20 मई से 01 जून 2019 तक तेरह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 02 से 04 जून 2019 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 05 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर को अशोकनगर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3799-दो-2-20-2016.—श्री दीपक कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर को दिनांक 17 से 21 जून 2019 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री दीपक कुमार अग्रवाल, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ग्वालियर का ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3801-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 20 मई से 01 जून 2019 तक तेरह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 02 से 06 जून 2019 तक पांच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3803-दो-2-8-2015.—श्रीमती रिया त्रिपाठी, डिप्टी रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को दिनांक 24 से 29 जून 2019 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 23 जून 2019 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 जून 2019 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रिया त्रिपाठी, डिप्टी रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रिया त्रिपाठी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. D-3810-दो-2-74-2017.—श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 31 मई से 14 जून 2019 तक पन्द्रह दिन के स्वीकृत ग्रीष्मकालीन अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 30 मई 2019 तक एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र एस. पाटीदार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. D-3812-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 03 से 04 मई 2019 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय कार्यवाहक मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.